

सत्यमेव जयते

**Annual Review on the Working  
of  
Forests and Wild Life Department  
2021-22**



**Government of Haryana**

# **Government of Haryana**

## **Annual Review on the Working of Forest and Wild Life Department 2021-22**

**Office of the Principal Accountant General (A&E)  
Haryana, Chandigarh**

## Preface


Forests & Wild Life Department is an important constituent of State Administration. Its Drawing and Disbursing Officers play an important role in exercising necessary control over expenditure & realization of revenue. To enable the Drawing and Disbursing Officers and Controlling Officers to discharge their obligations properly, rules and regulations have been framed and manualised. Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department is prepared every year after reviewing accounts of the divisions and offices of this department which maintain initial accounts.

The Annual Review for the year 2021-22 highlights omissions/irregularities noticed in maintenance and submission of the monthly accounts of Forests Divisions and Wild Life Department; non-adjustment of Forest Advances; outstanding balances under Forest Remittances i.e under Remittance into treasuries and Forest Cheques/EPS; audit observations and objections raised by the office of the Principal Accountant General (Audit), Haryana, Chandigarh.

I hope that the Review will be beneficial to the State Government and Forest and Wild Life Department. Rectification of the omissions and irregularities, highlighted in the Review will certainly improve the system of maintenance of accounts of this department.

Suggestions to enhance the usefulness of this Annual Review are welcome.

**CHANDIGARH**



(SHAIENDRA VIKRAM SINGH)

**Pr. ACCOUNTANT GENERAL**

# **Annual Review on the Working of Forest and Wild Life Department, Haryana for the year 2021-22**

## **Introduction**

The aim of Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department are:

- To highlight financial irregularities noticed in the preliminary accounts.
- To make the Government and Departmental Officers aware of the same in order to avoid recurrence of such omissions and irregularities in future so as to improve financial administration and ensure preparation and submission of well designed accounts to this office well in time by the Forests and Wild Life Department.

The Forests and Wild Life Department consists of 40 Forest Divisions as on 31-03-2022. All Forest divisions render compiled accounts to this office for inclusion in the State's monthly Civil Accounts. Forest divisions with their circle code and division code are shown at Annexure-I.

The Annual Review consists of two parts viz. Part-1 and Part-2. Part-1 deals with omissions and irregularities noticed by the Principal Accountant General (A&E) while compiling the cash accounts. Part-2 contains summary of audit observations raised during audit by the Principal Accountant General (Audit) and Annexures.

## TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Particulars	Paragraph	Page(s)
<b>Part-1. Omissions and irregularities noticed by Pr. Accountant General (A&amp;E)</b>			
1.	Non-Response to previous Annual Review	1	1
2.	Computerization of Accounts	2	1
3.	Omissions/ Irregularities noticed during receipt and compilation of Accounts	3	2
4.	Delayed submission of cash accounts	3.1	2
5.	Outstanding differences under Forest Remittances into Treasury	3.2	2-3
6.	Adjustment of Amount outstanding under M.H. "8550-101-Forest Advances "	3.3	3
7.	Huge amount of Cheques expired or lying un-encashed	3.4	3-4
8.	Reconciliation of Accounts	3.5	4
9.	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority(CAMPA)	3.6	4-5
<b>Part-2. Summary of Audit Objections raised by Principal Accountant General (Audit) and Annexures</b>			
10.	Outstanding Audit Inspection Reports/Paras	4	6
11.	Annexure-I-list showing Forest Divisions that submit account to this office as on 31/03/2022	-	7-8
12.	Annexure-II- Statement showing delay in receipt of Cash Accounts from divisions	-	9-13
13.	Annexure-III Outstanding balances under Major Head 8782-103-99 Remittances as on 31/03/2022	-	14-16
14.	Annexure-IV-Outstanding balances under Head "8550-101-Forest Advances" as on 31/03/2022	-	17
15.	Annexure-V-Outstanding balances under Head "8782-103-98/93Cheques/EPS" as on 31/03/2022	-	18-19

16.	Annexure-VI-Statement showing outstanding Inspection Reports/Paras with money value in r/o Forest upto year 2021-22	-	20-78
-----	---	---	-------

# **Part 1**

## **1. Non-response to previous Annual Review**

Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department is prepared every year. Last Review for the year 2020-21 was sent to the Principal Chief Conservator of Forests, Haryana and Chief Conservator of Forests (Wildlife), Haryana with requisite corrective measures suggested by Pr. Accountant General. Although omissions/irregularities in the account of Forests and Wild Life Department were specifically pointed out, the suggested corrective measures are yet to be implemented by the concerned Divisions of the Department. None of the 40 divisions of the Department responded to the previous annual review. The basic aim and objectives of the Annual Review remains unfulfilled, if nothing concrete is done to avoid recurrence of such omissions/irregularities as pointed out in the Review.

*The Department needs to impress upon its subordinate offices in sending replies to Review and ensure corrective measures to improve quality of Accounts.*

## **2. Computerization of Accounts**

Data of Monthly Forests Accounts is required to be supplied by the concerned Divisions to this office in the electronic mode compatible with VLC Application for computerized compilation of Accounts. Required format of text files and interface to load forest data has been developed in-house by Centralised Computer Cell section of this office. It has been observed that only few divisions have supplied the account in CD or other device. This office has already issued the instructions that these accounts are required to be submitted online.

*Computerization of Forests Accounts needs to get done expeditiously. It is to be ensured that all divisions submit the computerized account to this office.*

### **3. Omissions/Irregularities noticed during receipt and compilation of Accounts**

#### **3.1 Delayed submission of cash accounts**

In accordance with Article 288 of Account Code Vol.-III, it is mandatory for all the divisions of the Department to submit account by 5th of the month following that to which it relates to AG (A&E) office. In cases, where accounts are not dispatched on or before 10<sup>th</sup> of the following month, the reasons for such delay must be intimated invariably on that date as provided in Article 292 of Account Code Vol.III. But it was noticed that during the year 2021-22, various divisions (**Annexure-II**) did not submit their respective accounts on due dates. Delay in submission of Accounts ranged between 1 to 15 days. Delay in submission of accounts affects timely compilation and submission of Monthly Civil Accounts by Principal Accountant General (A&E) to the State Government. Even after the issuance of strict instructions to Principal Chief Conservator of Forests, Haryana, there was delay in submission of accounts.

*Timely submission of monthly accounts by all divisions may invariably be ensured.*

#### **3.2 Outstanding differences under Forest Remittances into Treasury.**

As per Articles 284 and 288 of Account Code Vol.III, every Divisional Officer prepares the Schedule (Form FAC-15) of amount of Remittances into Treasury and sends it to Principal Accountant General along with monthly Cash Account. The said Schedule should be supported by reconciled Consolidated Treasury Receipt duly certified by Treasury Officer concerned. However, it was observed that the Divisional Officers did not send reconciled Consolidated Treasury Receipt to Principal Accountant General resulting in accumulation of differences between the figures of Forests receipts booked by the Forests Divisional Officers and Treasury Officers.

It was also noticed that in some divisions, amount was recorded in FAC-15 under the head 8782-103-99, but deposited through challan in another head (i.e 0070, 7610,0406, 0071 etc.).

Details of progressive debits amounting to Rs.16,63,20,092/- and progressive credits amounting to Rs.14,57,25,099/- on account of Remittances into Treasury by the Divisional Officers which remained unadjusted up to March 2022 are shown in the **Annexure-III**.



*Necessary instructions need to be issued to the Forest Divisional Officers to ensure that amounts are deposited in correct head under online system to avoid unnecessary accumulation of differences in the books of Pr. Accountant General. They must also submit the reconciled Consolidated Treasury Receipt, so that outstanding differences under Remittances are cleared.*

### **3.3 Adjustment of Amount outstanding under M.H. “8550-101-Forest Advances”**

According to Article 250 of Account Code Vol.-III, Divisional Officers granted advances for incurring expenditure towards payments to be made by their subordinate officers for the work executed by them, which are debited as Advances in the Cash Accounts of the concerned Forests Divisional Officer. After making such payment, these advances are adjusted against the appropriate head of account. However, advances amounting to Rs.24,90,380.14(debit) are pending for adjustments as on 31-03-2022. No action has been taken by the Divisional officers to adjust the outstanding amount against their division. This outstanding amount up to the end of the year 2021-22, is shown in **Annexure-IV**.

*There is a need to issue strict instructions to the Divisional Officers to get these advances adjusted at the earliest or if this is not adjustable then this amount may be recovered immediately from the concerned officer/official.*

### **3.4 Huge amounts of Cheques expired or lying un-cashed**

Although Electronic Payment System (E.P.S.) has replaced the cheque system with effect from 1<sup>st</sup> April 2013, yet old cheques are still lying outstanding /un-cashed in the books of Pr. Accountant General. It was observed that adequate steps were not taken by the concerned Forests Officers to get these cheques cancelled. Details of amount of Rs.1,52,42,486 (Credit) and Rs.61,87,171 (Debit) are shown in **Annexure –V**. It is pertinent to mention here that some items of Debits / Credits of 8782-103-93-Forest EPS are intermingled in Major Head 2406- Forests by some divisions leading to problems in identifying such items for further rectification through the mode of Transfer Entry. This would enhance the possibility of the budget of the 2406 (Forestry and Wild life) head to vary from the approved amount.

*Strict instructions need to be issued to all the Divisional Officers to make the entry of cancelled cheques in Cash Accounts immediately of all expired cheques and to reconcile with Pr. Accountant General (A&E) Office to adjust the outstanding amounts. Guard against misclassification must also be ensured to prevent intermingling of 8782-103-93-Forest EPS and major Head 2406 items.*

### **3.5 Reconciliation of Accounts.**

Government of Haryana, vide instructions issued from time to time, directed all the Departments to reconcile their monthly accounts with Pr. Accountant General's Office. But it has been observed that some C.C.Os of the Department do not comply with these instructions. This results in mismatch in expenditure reported by the Department and that of booked by the Pr. Accountant General's Office.

*The State Government may issue suitable directions to the C.C.Os of Department, emphasizing the need for reconciliation of their accounts every month with Pr. Accountant General Office to guard against misclassification, wrong payments, frauds and embezzlements.*

### **3.6 Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA).**

In compliance to the Compensatory Afforestation Fund Act 2016, the State Governments are required to establish the State Compensatory Afforestation Fund under the Public Account of the State which would be managed by State Authority to be called 'State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority'. The Authority would administer the amount received and utilize the money collected for undertaking compensatory afforestation, assisted natural regeneration, conservation and protection of forests, infrastructure development, wildlife conservation and protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto. During the year 2019-20, the State Government received Rs.1282.65 crore, being State share of the CAMPA Fund, from National Compensatory Afforestation Deposits to the Fund. The balance in the fund is non-lapsable and would get interest as per rate declared by Central Government on year to

year basis. However, the State Government did not credit any interest to the State Compensatory Afforestation Fund till yet.

*Necessary directions may be issued to the department to deposit the interest accrued in the State Compensatory Afforestation Fund.*

## **Part 2**

### **4. Outstanding Audit Inspection Reports/ Paras**

There are 169 Audit Inspection Reports containing 471 Audit Paras with cumulative money value of Rs.479.97 crore pending against the Department. Details of these have been sent by office of the Pr. Accountant General (Audit) Haryana, Chandigarh and enclosed as **Annexure–VI**. It is relevant to mention here that like the previous years, the pace of settlement of outstanding Inspection Reports/Paras was found very slow during the year 2021-22.

*Necessary directions for early compliance to audit observations and settlement of the outstanding paras need to be issued to all Divisions.*

***Annexure-I***

**List showing Forest Divisions that submit account to this office as on  
31/03/2022**

<b>Sr. No.</b>	<b>Circle code</b>	<b>Division Code</b>	<b>Name of Division</b>
1.	01	001	Divisional Forest Officer , O/o Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula
2.	02	002	Conservator of Forest, North Circle, Ambala Panchkula
3.	02	003	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)
4.	02	004	Dy. Conservator of Forest, (T) Yamunanagar
5.	02	005	Dy. Conservator of Forest, (T) Ambala
6.	02	006	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra
7.	02	007	Dy. Conservator of Forest, (T) Karnal
8.	02	008	Divisional Forest Officer, (T) Sonapat
9.	02	010	Dy. Conservator of Forest, (T) Kaithal
10.	03	011	Conservator of Forest, South Circle Gurugram
11.	03	012	Dy. Conservator of Forest, (T) Mohindergarh
12.	03	013	Dy. Conservator of Forest, (T) Faridabad
13.	03	014	Dy. Conservator of Forest, Rohtak
14.	03	015	Divisional Forest Officer, Gurugram
15.	04	016	Chief Conservator of Forest, West Circle Hissar
16.	04	017	Divisional Forest Officer, (T) Sirsa
17.	04	018	Divisional Forest Officer,(T) Jind
18.	04	019	Divisional Forest Officer, (T) Hissar
19.	04	020	Divisional Forest Officer, (T) Bhiwani
20.	04	021	Divisional Forest Officer, (T) Charkhi Dadri
21.	07	032	Conservator of Forest, Publicity & Education Panchkula
22.	07	033	Conservator of Forest, Central Circle, Rohtak
23.	07	035	Divisional Forest Officer, Panipat
24.	07	041	Divisional Forest Officer, (T) Rewari

25.	07	042	Divisional Forest Officer Monitoring & Evaluation, Karnal
26.	07	044	Divisional Forest Officer, Jhajjar
27.	07	046	Divisional Forest Officer, Fatehabad
28.	07	047	Divisional Forest Officer, Mewat (Nuh)
29.	011	053	Chief Wild Life Warden Panchkula
30.	012	054	Deputy Chief Wild Life Warden Panchkula
31.	013	055	Divisional Wild Life Officer, Rohtak
32.	017	064	Conservator of Forest, Monitoring & Evaluation Circle Karnal
33.	03	071	Dy. Conservator of Forest, Palwal
34.	03	072	Divisional Wild Life Officer, Gurugram
35	012	073	Divisional Wild Life Officer, Hisar
36.	06	074	Divisional Forest Officer, Training Division, Pinjore
37.	06	075	Divisional Forest Officer, Training Forest Division, Sohna
38.	06	076	Divisional Forest Officer, Research Division, Pinjore
39.	06	078	Divisional Forest Officer, Seed Collection Division Pinjore
40.	017	082	Divisional Forest Officer, M&E Division, Hisar

## *Annexure-II*

(Referred to in Para 3.1)

### **Statement showing delay in receipt of cash account from divisions**

<b>SR. NO.</b>	<b>NAME OF DIVISION</b>	<b>MONTH</b>	<b>DUE DATE</b>	<b>DATE OF RECEIPT</b>	<b>DELAY (NO. OF DAYS)</b>
1.	CHIEF WILD LIFE WARDEN PANCHKULA	04/2021	05/05/2021	20/05/2021	15 DAYS
2.	D.F.O. M&E KARNAL	04/2021	05/05/2021	19/05/2021	14 DAYS
3.	D.F.O. SEED COLLECTION PINJORE	04/2021	05/05/2021	19/05/2021	14 DAYS
4.	D.F.O. SONIPAT	07/2021	05/08/2021	19/08/2021	14 DAYS
5.	D.W.L.O. GURUGRAM	04/2021	05/05/2021	18/05/2021	13 DAYS
6.	D.F.O. GURUGRAM	09/2021	05/10/2021	18/10/2021	13 DAYS
7.	D.F.O REWARI	10/2021	05/11/2021	18/11/2021	13 DAYS
8.	D.F.O. MEWAT (NUH)	10/2021	05/11/2021	18/11/2021	13 DAYS
9.	D.F.O. KARNAL	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
10.	D.F.O MOHINDERGARH	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
11.	D.F.O. ROHTAK	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
12.	D.F.O. REWARI	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
13.	D.F.O. JHAJJAR	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
14.	D.F.O. FATEHABAD	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
15.	D.F.O. TRAINING DIVISION PINJORE	04/2021	05/05/2021	17/05/2021	12 DAYS
16.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	06/2021	05/07/2021	16/07/2021	11 DAYS
17.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	10/2021	05/11/2021	15/11/2021	10 DAYS

18.	D.F.O. FARIDABAD	10/2021	05/11/2021	15/11/2021	10 DAYS
19.	D.F.O. GURUGRAM	10/2021	05/11/2021	15/11/2021	10 DAYS
20.	D.F.O. FATEHABAD	10/2021	05/11/2021	15/11/2021	10 DAYS
21.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	11/2021	06/12/2021	15/12/2021	9 DAYS
22.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER GURUGRAM	02/2022	07/03/2022	16/03/2022	9 DAYS
23.	D.F.O. AMBALA	04/2021	05/05/2021	13/05/2021	8 DAYS
24.	D.F.O. FARIDABAD	04/2021	05/05/2021	13/05/2021	8 DAYS
25.	C.F. WEST CIRCLE HISAR	04/2021	05/05/2021	13/05/2021	8 DAYS
26.	D.F.O. PALWAL	04/2021	05/05/2021	13/05/2021	8 DAYS
27.	D.F.O. AMBALA	06/2021	05/07/2021	13/07/2021	8 DAYS
28.	D.F.O. SONIPAT	11/2021	06/12/2021	14/12/2021	8 DAYS
29.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	12/2021	05/01/2022	13/01/2022	8 DAYS
30.	D.F.O JIND	09/2021	05/10/2021	12/10/2021	7 DAYS
31.	D.F.O. SONIPAT	10/2021	05/11/2021	12/11/2021	7 DAYS
32.	D.F.O. GURUGRAM	02/2022	07/03/2022	14/03/2022	7 DAYS
33.	P.C.C.F. PANCHKULA	04/2021	05/05/2021	11/05/2021	6 DAYS
34.	C.F. NORTH CIRCLE PANCHKULA	04/2021	05/05/2021	11/05/2021	6 DAYS
35.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	09/2021	05/10/2021	11/10/2021	6 DAYS
36.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER PANCHKULA	09/2021	05/10/2021	11/10/2021	6 DAYS
37.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER GURUGRAM	09/2021	05/10/2021	11/10/2021	6 DAYS
38.	D.F.O. FARIDABAD	12/2021	05/01/2022	11/01/2022	6 DAYS
39.	D.F.O. GURUGRAM	12/2021	05/01/2022	11/01/2022	6 DAYS



40.	D.F.O. PALWAL	12/2021	05/01/2022	11/01/2022	6 DAYS
41.	D.F.O. MORNI PINJORE	04/2021	05/05/2021	10/05/2021	5 DAYS
42.	D.F.O. KAITHAL	04/2021	05/05/2021	10/05/2021	5 DAYS
43.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	04/2021	05/05/2021	10/05/2021	5 DAYS
44.	D.F.O. JIND	04/2021	05/05/2021	10/05/2021	5 DAYS
45.	D.F.O. (T) HISAR	04/2021	05/05/2021	10/05/2021	5 DAYS
46.	D.F.O. PANIPAT	07/2021	05/08/2021	10/08/2021	5 DAYS
47.	D.F.O. KURUKSHETRA	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
48.	D.F.O. KARNAL	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
49.	D.F.O. JIND	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
50.	D.F.O. BHIWANI	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
51.	D.F.O.PANIPAT	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
52.	D.F.O.TRAINING DIVISION PINJORE	10/2021	05/11/2021	10/11/2021	5 DAYS
53.	D.F.O. SONIPAT	12/2021	05/01/2022	10/01/2022	5 DAYS
54.	D.F.O. JIND	12/2021	05/01/2022	10/01/2022	5 DAYS
55.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER PANCHKULA	12/2021	05/01/2022	10/01/2022	5 DAYS
56.	D.F.O. MORNI PINJORE	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
57.	D.F.O. KURUKSHETRA	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
58.	D.F.O. FARIDABAD	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
59.	D.F.O. FATEHABAD	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
60.	D.F.O. MEWAT (NOH)	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
61.	D.F.O RESEARCH DIVISION PINJORE	07/2021	05/08/2021	09/08/2021	4 DAYS
62.	D.F.O. KURUKSHETRA	08/2021	06/09/2021	09/09/2021	4 DAYS
63.	D.F.O. PANIPAT	08/2021	06/09/2021	09/09/2021	4 DAYS

64.	D.F.O. YAMUNANAGAR	10/2021	05/11/2021	09/11/2021	4 DAYS
65.	D.F.O. AMBALA	10/2021	05/11/2021	09/11/2021	4 DAYS
66.	D.F.O.(T) HISAR	10/2021	05/11/2021	09/11/2021	4 DAYS
67.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	10/2021	05/11/2021	09/11/2021	4 DAYS
68.	D.F.O. JHAJJAR	10/2021	05/11/2021	09/11/2021	4 DAYS
69.	D.F.O. KURUKSHETRA	11/2021	06/12/2021	10/12/2021	4 DAYS
70.	D.F.O. SONIPAT	02/2022	07/03/2022	11/03/2022	4 DAYS
71.	D.F.O. KAITHAL	02/2022	07/03/2022	11/03/2022	4 DAYS
72.	D.F.O. TRAINING DIVISION PINJORE	06/2021	05/07/2021	08/07/2021	3 DAYS
73.	D.F.O. MORNİ PINJORE	08/2021	06/09/2021	08/09/2021	3 DAYS
74.	D.F.O. FARİDABAD	05/2021	07/06/2021	10/06/2021	3 DAYS
75.	D.F.O. AMBALA	08/2021	06/09/2021	08/09/2021	3 DAYS
76.	D.F.O. JİND	05/2021	07/06/2021	10/06/2021	3 DAYS
77.	D.F.O. RESEARCH DIVISION PINJORE	05/2021	07/06/2021	10/06/2021	3 DAYS
78.	D.F.O. SONIPAT	06/2021	05/07/2021	08/07/2021	3 DAYS
79.	D.F.O. KURUKSHETRA	06/2021	05/07/2021	08/07/2021	3 DAYS
80.	D.F.O. GURUGRAM	08/2021	06/09/2021	08/09/2021	3 DAYS
81.	D.F.O. SONIPAT	09/2021	05/10/2021	08/10/2021	3 DAYS
82.	D.F.O. PANIPAT	09/2021	05/10/2021	08/10/2021	3 DAYS
83.	D.F.O. FATEHABAD	09/2021	05/10/2021	08/10/2021	3 DAYS
84.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER GURUGRAM	01/2022	07/02/2022	10/02/2022	3 DAYS
85.	D.F.O. TRAINING DIVISION SOHNA	01/2022	07/02/2022	10/02/2022	3 DAYS
86.	D.F.O. BHIWANI	02/2022	07/03/2022	10/03/2022	3 DAYS
87.	D.F.O. AMBALA	03/2022	11/04/2022	14/04/2022	3 DAYS

88.	D.F.O. FARIDABAD	03/2022	11/04/2022	14/04/2022	3 DAYS
89.	D.F.O. GURUGRAM	05/2021	07/06/2021	09/06/2021	2 DAYS
90.	D.F.O. AMBALA	05/2021	07/06/2021	09/06/2021	2 DAYS
91.	D.F.O. KAITHAL	05/2021	07/06/2021	09/06/2021	2 DAYS
92.	DIVISIONAL WILD LIFE OFFICER GURUGRAM	11/2021	06/12/2021	08/12/2021	2 DAYS
93.	D.F.O.TRAINING DIVISION PINJORE	11/2021	06/12/2021	08/12/2021	2 DAYS
94.	D.F.O.BHIWANI	01/2022	07/02/2022	09/02/2022	2 DAYS
95.	D.F.O. KARNAL	02/2022	07/03/2022	09/03/2022	2 DAYS
96.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	02/2022	07/03/2022	09/03/2022	2 DAYS
97.	D.F.O.TRAINING DIVISION PINJORE	02/2022	07/03/2022	09/03/2022	2 DAYS
98.	D.F.O. FATEHABAD	02/2022	07/03/2022	09/03/2022	2 DAYS
99.	P.C.C.F. PANCHKULA	11/2021	06/12/2021	07/12/2021	1 DAY
100.	D.F.O. PANIPAT	03/2022	11/04/2022	12/04/2022	1 DAY

### *Annexure –III*

**(Referred to in Para 3.2)**

**Outstanding balances under Major Head 8782-103-99 Remittances as on 31/03/2022**

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Division</b>	<b>Debit (Rs. )</b>	<b>Credit (Rs. )</b>
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	41382417	-
2.	Conservator of Forest, North Circle Panchkula	-	59501
3.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	-	5550050
4.	Divisional Forest Officer, (T) Yamunanagar	-	7516691
5.	Divisional Forest Officer, (T) Ambala	13012331	-
6.	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra	-	5373189
7.	Divisional Forest Officer, (T) Karnal	-	2297688
8.	Divisional Forest Officer, (T) Sonapat	-	9097569
9.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	-	830254
10.	Conservator of Forest, South Circle Gurugram	-	12412
11.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	1500016	-
12.	Divisional Forest Officer, (T) Faridabad	-	38429280
13.	Divisional Forest Officer, Rohtak	5398343	-
14.	Divisional Forest Officer, Gurugram	24999575	-
15.	Conservator of Forest, West Circle Hissar		321026
16.	Divisional Forest Officer, (T) Sirsa	3316178	-
17.	Divisional Forest Officer,(T) Jind	7330458	-
18.	Divisional Forest Officer, (T) Hissar	6911	-
19.	Divisional Forest Officer, (T) Bhiwani	-	3624120
20.	Divisional Forest Officer, (T) Charkhi Dadri	-	807242
21.	Divisional Forest Officer,(P) Karnal	11909815	
22.	Divisional Forest Officer, (P) Kurukeshtra	4016112	-
23.	Divisional Forest Officer, (P) Yumuna Nagar	11580749	-
24.	Conservator of Forest, Training Circle Pinjore,	-	23064

	Panchkula		
25.	Conservator of Forest, Research Circle Pinjore Panchkula	-	552361
26.	Conservator of Forest, Central Circle Rohtak	-	104192
27.	Divisional Forest Officer , Community Forestry Project, Panipat	-	6150285
28.	Divisional Forest Officer , Community Forestry Project, Faridabad	-	643240
29.	Divisional Forest Officer, (T) Panipat	-	1723380
30.	Divisional Forest Officer, Jhajjar	-	9424410
31.	Divisional Forest Officer, (M&E) Karnal	2084862	-
32.	Divisional Forest Officer, (T) Mewat Nuh	-	3280945
33.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	4214460	-
34.	Divisional Forest Officer, (T) Fatehabad	-	22554613
35.	Chief Wild Life Warden Panchkula	-	80970
36.	Divisional Wild Life Officer, Panchkula	122491	-
37.	Divisional Wild Life Officer, Rohtak	-	8251889
38.	Conservator of Forest, Community Forestry Project, Ambala	-	85487
39.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Kurukshetra	3379503	-
40.	Conservator of Forest, Community Forestry Project, Circle Hissar	-	23378
41.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Bhiwani	87277	-
42.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Jatusana, Rewari	-	196708
43.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Hissar	-	272352
44.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	-	28914
45.	Divisional Forest Officer, (T) Palwal	31323166	-
46.	Divisional Wild Life Officer Gurugram	-	88693
47.	Divisional Wild Life Officer, Hissar	183763	-
48.	Divisional Forest Officer, Training Division Sohana	63604	
49.	Conservator of Forest, Working Plan Circle Gurugram.	-	4375569

50.	Divisional Forest Officer, Training Division Pinjore	-	9129
51.	Divisional Forest Officer, Research Division Pinjore	375154	-
52.	Divisional Forest Officer, Seed Collection Division Pinjore	-	359139
53.	Divisional Forest Officer (Production) Hissar	-	3015061
54.	Divisional Forest Officer, (M&E) Hissar	-	96992
55.	Divisional Forest Officer, Eco- Tourism Panchkula	2495	-
56.	Cyber Treasury	-	9964474
57.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	-	497074
58.	Divisional Forest Officer, Community Project, Ambala	30412	-
59.	Conservator of Forest (Production) Circle Karnal	-	3558
60.	Divisional Forest Officer, Eco. Tourism Gurugram	-	200
<b>Total</b>		<b>166320092</b>	<b>145725099</b>

## ***Annexure-IV***

**(Referred to in Para 3.3)**

**Outstanding balances under Head “8550-101-Forest Advances” as on 31/03/2022**

<b>Sr.No.</b>	<b>Name Of Division</b>	<b>Debit ( Rs. )</b>	<b>Credit ( Rs. )</b>
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	93839.85	-
2.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	7565.98	-
3.	Divisional Forest Officer, (T) Sonapat	18473.06	-
4.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	1019324	-
5.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	144853.45	-
6.	Divisional Forest Officer, Gurugram	535217.30	-
7.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Kurukshetra	21780.00	-
8.	Divisional Forest Officer, (P) Yamuna Nagar	27571.89	-
9.	Conservator of Forest, Training Circle Pinjore, Panchkula	23140.00	-
10.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	6190.00	-
11.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	59468.61	-
12.	Dy. Chief Wild Life Warden., Panchkula	520206.00	-
13.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	12750.00	-
		<b>2490380.14</b>	<b>Nil</b>

## *Annexure-V*

**(Referred to in Para 3.4)**

**Outstanding Balances under Head “8782-103-98/93 Cheques/EPS” as on 31/03/2022**

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Division</b>	<b>Credit (Rs.)</b>	<b>Debit (Rs.)</b>
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	-	631749
2.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	-	535456
3.	Divisional Forest Officer, (T) Yamunanagar	8329988	-
4.	Divisional Forest Officer, (T) Ambala	930971	-
5.	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra	2819530	-
6.	Divisional Forest Officer, (T) Karnal	339277	-
7.	Divisional Forest Officer, (T) Sonapat	291476	-
8.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	-	46810
9.	Conservator of Forest, South Circle Gurugram	123573	-
10.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	775106	-
11.	Divisional Forest Officer, (T) Faridabad	722186	-
12.	Divisional Forest Officer, Rohtak	-	3869405
13.	Divisional Forest Officer,(P) Karnal	-	24504
14.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	-	136992
15.	Divisional Forest Officer, (T) Panipat	288595	-
16.	Divisional Forest Officer, (T) Fatehabad	239635	-
17.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	-	296468
18.	Dy. Wild Life Warden., Panchkula	-	4456



19.	Divisional Wild Life Officer, Rohtak	-	171068
20.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Hissar	-	5273
21.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	-	71568
22.	Divisional Forest Officer, (T) Palwal	382149	-
23.	Divisional Forest Officer, Training Division Pinjore		128543
24.	Divisional Forest Officer, Research Division Pinjore		81134
25.	Conservator of Forest, Working Plan Circle Gurugram		183745
	<b>Total</b>	<b>15242486</b>	<b>6187171</b>

## *Annexure-VI*

**(Referred to in Para 4)**

### **Statement showing outstanding Inspection Reports/Paras with money value in r/o Forest upto year 2021-22**

**Irregularities of common nature which have been noticed during Central Audit of Forest**

**Division:-**

- (i) Non-marking of running bill no. on Running Bills.
- (ii) Non-enclosure of Original vouchers/muster roll in Monthly Accounts.
- (iii) Non-deduction of TDS under section 194 J.
- (iv) Execution of work on Work order of work where expenditure is more than one lakh.
- (v) Non-execution of work on e-tendering.
- (vi) Payment on Performa Invoice instead of Original Bill.

**Important irregularities of important nature are shown in the table:-**

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Office/Department</b>	<b>Period</b>	<b>Title of Paras</b>	<b>Amount</b>
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	04/2020 to 03/2021	Unfruitful expenditure on 'World Herbal Forest' Project.	Rs. 13.71 crore
2.	-do-	-do-	Allotment of work without taking approval from the competent authority.	Rs. 1.09 crore
3.	-do-	-do-	Non-monitoring of work done under National Mission of Green India.	Rs. 262.72 lakh
4.	-do-	-do-	Non utilization of Grant-in-aid	Rs. 8.09 crore
5.	-do-	-do-	Non-returning of unspent grant to GoI despite of closure of scheme.	Rs. 8.32 crore
6.	-do-	-do-	Non conciliation of online payments received from tenders.	Rs. 10.34 crore
7.	DFO, (Regional), Yamuna nagar	01/2020 to 06/2021	Non-receipt of Royalty of fell tree.	Rs. 312.95 lakh
8.	DFO, (Regional), Yamuna nagar	-do-	Non-return of earnest money after completion of work.	Rs. 2.98 lakh
9.	Chief Conservator of Forest,	04/2015 to	Non-utilization of grant	Rs. 2.23

	Ambala	06/2021	received under IGWR Yojna	crore
10.	-do-	-do-	Delay in action taken against defaulters, under norms of success percentage of planting.	Rs. 27.99 lakh
11.	-do-	-do-	Delay in non-compliance of prescribed conditions of basic approval under Forest Conservation Act 1980.	--

**List of outstanding paras is as shown below :-**

Sr. No.	Name of the department	Year of IR	Para No.	Title of para part-II A/part II B	Amount (Rs. in lakh)	Total Para	Total IR
1	वन संरक्षक (उत्तरी परिमण्डल) हरियाणा, पंचकुला	2021-22	1	आई.जी. डब्ल्यू.आर. योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग न करना - 2.23 करोड़	223.00	1	1
2	वन संरक्षक (उत्तरी परिमण्डल) हरियाणा, पंचकुला	2021-22	2	पौधारोपण सफलता प्रतिशत नोर्मज के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब।	-	1	0
3	वन संरक्षक (उत्तरी परिमण्डल) हरियाणा, पंचकुला	2021-22	3	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में देरी।	-	1	0
4	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2014-15	5	वैक वैजिज भुगतान की वसूली दो णी अधिकारियों/कर्मचारियों से ने करना रु 12.00 लाख	12.00	1	1
5	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2018-19	1	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय - राशि 19.23 लाख रुपये	19.23	1	1
6	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2018-19	7क	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	1	0

7	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2019-20	1	ऋण के बकाया की वसूली न करना रु 12.80 लाख	12.80	1	1
8	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2019-20	2(ख)	ठेकेदारों एवं कर्मचारियों से बकाया वसूली रु 4.28 लाख	4.28	0	0
9	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2019-20	5	रैंजों के अंतर्गत पड़े लॉग्स एवं पेड़ों (कुल 140.98 क्यूम) का निपटान न करना।	-	1	0
10	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2019-20	6	रोकडबही एवं विविध अनियमितताये 5. सोसाइटीज से ल.सी.ए की वसूली न करना राशि रु 0.18 लाख	0.18	1	0
11	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	1	कल्याण शुल्क का अनियमित भुगतान रुपए 0.45 लाख।	0.45	1	1
12	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	2	कार्य पूर्ण होने के बाद अर्नेस्ट मनी राशि वापिस न करना रुपए 2.98 लाख।	2.98	1	0
13	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	3	क्षतिपूरक वनीकरण शुल्क की कम मांग करना रु. 9413/-	0.10	1	0
14	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	4	कटे हुए वृक्षों की रोयल्टी की प्राप्ति न करना (रु. 312.95 लाख)	312.95	1	0
15	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	5	डैमेज रिपोर्ट से संबंधित वसूली न करना (3.64 लाख रुपए) तथा अदालती व अन्य केशों का निपटारा न करना।	3.64	1	0
16	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	6	ठेकेदारों से बकाया वसूली – रु. 03.62 लाख	3.62	1	0
17	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	7A	वन मंडल अधिकारी कार्यालय कंडम घोषित करने उपरांत कार्यवाही न करना।	-	1	0
18	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	2021-22	7B	नकारा वाहन का निपटान न करना।	-	0	0
19	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	6	रोकड बही की अनिमित्ताए	-	1	1

20	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	0	1. कैम्पा रोकड़ बही का रिकनसिलेशन न करना	-	0	0
21	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	0	2. योगो की जाँच न करना	-	0	0
22	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	0	3. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	-	0	0
23	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	0	4. रोकड़ बही के निर्धारित कॉलमो को सही न भरना	-	0	0
24	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल	2015-17	0	5. बाउचरो पर पैड एव कैंसिल की मोहर न लगाना	-	0	0
25	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2006-07	2	14396/-रु का अनियमित भुगतान एवं की देयताएं व रु 26,41,816/-	26.42	1	1
26	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2012-13	1	इन्क्रोचमेंट की गई भूमि के बदले प्रतिपूर्ति पोधारोपन राशी व गैर वानिकी न करना 190.96 लाख	190.96	1	1
27	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2012-13	3	Diversion of FCA land without permission 0.0233 ha. ch   h (2,3)	-	1	0
28	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2012-13	4	सुरक्षित वन भूमि डाईवरशन के बदले प्रस्तावित वन भूमि का शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा न दिलाना भूमि 5.35 है	-	1	0
29	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2014-15	3	Non recovery of sales tax Rs. 21.65 lakh	21.65	1	1
30	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2015-16	2	निम्न स्तरीय कार्य का निष्पादन करना राशि 96.38 लाख रुपये	96.38	1	0
31	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2015-16	7	नकारा/अनुपयोगी वाहनों की निलामी न करवाना राशि 8.16 लाख रुपये	8.16	1	0

32	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2016-17	1	वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम पर/डैम पर निष्फल 75.00 लाख	75.00	1	1
33	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2016-17	2	बचत खाते में राशि रखने से ब्याज की हानि 1.45 लाख रु।	1.45	1	0
34	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2018-19	2b	परिवर्तित वन भूमि के लंबित मामले	-	1	1
35	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2018-19	6a	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें 10. बैंक वेजिज भुगतान राशि - 9.00 लाख रूपये	9.00	1	0
36	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2018-19	6b	खरीदे गये पौधों का रिकार्ड प्रस्तुत न करना राशि - रूपये 15.26 लाख	15.26	0	0
37	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2019-20	2	कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन न करवाना राशि- रूपये 1476.88 लाख एवं यूजर एजेंसियो से राशि प्राप्त न करना- 41. 56 लाख।	1,518.44	1	1
38	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2019-20	3b	पौधारोपण में ओवर लैपिंग के कारण नुकसान।	-	1	0
39	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2019-20	4	सरकारी धन का अवरोधन रु 90.00 लाख।	90.00	1	0
40	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	1	ग्राम कजियाना में आर.सी.सी. वाटर हार्बेस्टिंग स्ट्रक्चर से पानी के रिसाव के कारण बांध के निर्माण पर किये गये रु. 88.16 लाख के व्यय का निष्फल होना	88.16	1	1
41	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	2	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत यूजर एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण भुल्क और अन्य भुल्कों की कम मांग रु. 12.84 करोड़	1,284.00	1	0
42	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	3	अनियमित खरीद तथा भुगतान रु. 48. 18 लाख	48.18	1	0

43	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	4	कान्ट्रैक्ट के नियम और भातों के अनुसार सिकोरटी डिपोजिट नहीं काटे जाना रु. 788702/-	7.89	1	0
44	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	5	अधिकारियों व कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि रु. 4.94 लाख	4.94	1	0
45	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	6	सेवानिवृत्त कर्मचारी को अन्धिकृत तरीके से पुन रोजगार पर लगाना	-	1	0
46	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	7	पौधारोपण की कम सफलता प्राप्त होने के प चात् मण्डल कार्यालय द्वारा संबंधित के विरुध कार्यवाही न करना	-	1	0
47	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	8	एक कांट्रेक्टर को दो ब्लाक से अधिक ब्लाकों में कार्य आबंटित करना	-	1	0
48	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	9B	आयकर अधिनियम के सेक्शन 194 सी के तहत टी.डी.सी. की कटौति न करना	-	1	0
49	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	9C	सरकार की आउटसोर्सिंग निति के तहत लगे कर्मचारियों का हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 के तहत अंशदान का जमा न करना	-	0	0
50	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	10	अस्थाई जगहों पर पड़े लाग्ज का निपटान न करना वाल्यूम 71.47 घन मीटर	-	1	0
51	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	11	नियोक्ता के ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान 3.25 प्रतिशत के बजाय 4.75 प्रति त की दर से करना	-	1	0
52	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	12	मैडिकल बिल की अधूरी जांच किये जाना	-	1	0
53	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	1R	ठेकेदारों से बकाया वसूली राशि रु. 5.23 लाख	5.23	1	1

54	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	2020-21	2R	डैमेज रिपोर्ट से संबंधित बकाया राशि की वसूली न करना राशि रु. 3.48 लाख तथा अदालती व अन्य केसों का निपटारा न करना	3.48	1	0
55	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2012-13	1	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति लिये बिना मैसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन भूमि का डायवर्जन करना भूमि 0.0357 है वसूलनीय राशि	7.39	1	1
56	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2013-14	7	Loss due to shortage of matrial	-	1	1
57	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2014-15	3	ऋण की अवसूली रु 8.17 लाख	8.17	1	1
58	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2014-15	8	कर्मचारियों से बकाया अवसूली रु 0.49 लाख	0.49	1	0
59	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	1	जांच एवं मूल्यांकन के अभाव में वितरित पौधों पर किया गया अलाभप्रद व्यय राशि 18.00 लाख रुपये	18.00	1	1
60	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	5	बैंक वेजिज के भुगतान को स्वीकृति के शर्त अनुसार कार्यवाही न करना राशि 14.24 लाख रु	14.24	1	0
61	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	6	कर्मचारियों से बकाया वसूली रु 17.52 लाख	17.52	1	0
62	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	7	रोकड़ बही की अनियमितताएं	-	1	0
63	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	2	2 क्षति रिपोर्टों के विरुद्ध सरकारी धन का रिलाईजेशन न करना राशि 1.67 लाख का	1.67	1	0
64	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	3	3 नर्सरी रजिस्ट्रों को अपडेट न करना	-	1	0
65	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	4	4 खरीदे गये पौधों को स्टॉक में न लेना राशि	-	1	0
66	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	5	0.58 लाख रु	0.58	1	0



67	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2015-16	6	5 नर्सरी रजिस्टर में कम गये सामान की अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली न करना राशि 0.21 लाख रुपये	0.21	1	0
68	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	2	बिना उपर्युक्त साक्ष्य के सेवा प्रदाता को अनियमित भुगतान राशि 17.00 लाख रुपये	17.00	1	1
69	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	3	वर्ष 2016-17 में स्कीम "Beautification in Urban Areas" की समीक्षा	-	1	0
70	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	1	1. बिना प्रावधान के खरीद	-	1	0
71	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	b	6. बिना पौधारोपण के भुगतान राशि रुपये 0.32 लाख	0.32	1	0
72	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	4(क)	डैमेज रिपोर्ट से संबंधित राशि को सरकारी खजाने में जमा न करवाना रुपये 0.23 लाख रुपये।	0.23	1	0
73	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	4(ख)	अदालती एवं फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	-	0	0
74	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	4(ग)	रेजों के अंतर्गत पड़े 11 लॉग्स एवं 227 पेड़ों (कुल 104.25 क्युम) का निपटान न करना	-	0	0
75	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	5(ग)	वुडबेसड स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि रुपये 15.50 लाख।	15.50	1	0
76	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	6(ख)	अग्रिम किये गये भुगतान से सड़क की मुरम्मत भुगतान न करवाना राशि रुपये 2.68 लाख।	2.68	1	0
77	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	7(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें	-	1	0
78	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	2. एफ.डी.ए. स्कीम के तहत खाते का खोला पाया जाना।	-	0	0

79	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	3. कम्पनसेटरी अपॉरस्टेशन से संबंधित रिकार्ड का न बनाना	-	0	0
80	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	4. रेंजों से संबंधित नर्सरीज का रिकार्ड अपडेट न करना	-	0	0
81	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	5. सामग्री फार्म-7 का मैटेन न करना	-	0	0
82	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	6. सेवा पुस्तिकाओं का संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को न दिखाया जाना।	-	0	0
83	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	7. रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना।	-	0	0
84	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	8. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना	-	0	0
85	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	0	9. सी.टी.आर. का न बनाना एवं मिलान करना	-	0	0
86	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	2018-19	7(ख)	अनुपयोगी वाहनों को निलाम न करवाने से सरकार को राजस्व की हानि राशि रूपय 2.94 लाख	2.94	1	0
87	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2012-13	1	पोधों की अनियमित खरीद व खरीदे गए पोधों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्रज न करना 18.43 लाख	18.43	1	1
88	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2013-14	3	i k/kkj ki .k dh de l Qyrk ds dkj .k l j dkj dks upl ku	40.47	1	1
89	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	Part-IV	1	वन भूमि पर पेट्रोल पम्पो से वसुलनिये राशि 0.27 लाख	0.27	1	0
90	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2014-15	3	i k/kkj ki .k dh de l Qyrk ds dkj .k ol wus ; kx; jkf'k 11-11 yk[k	11.11	1	1

91	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	Part-IV	2	हरे/सूखे गिरे पेड़ों की खरीद राशि पर बिक्री कर तथा टी.डी.एस. की वसूली राशि 13.20 लाख	13.20	1	0
92	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2015-17	1	आयकर की कम कटौती करना रु.14.09 लाख	14.09	1	1
93	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	1(ख)	i k9kkjki .k dh de l Qyrk ds dkj .k foHkx dks gkfu jkf'k12-51 yk[kA	12.51	1	1
94	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	3	_.k ds cdk; k dh ol wjh u djuk jkf'k 14-13 yk[k : lk; s A	14.13	1	0
95	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	4	depkfj ; k@Bcdnkj ka l s cdk; k ol wjh&: lk; s 12-81 yk[k	12.81	1	0
96	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	5	vQkjLVs ku dUtjos ku , DV 1980 ds vlrxir {ks= dks uku&QkjLV iz ks djus ds fy, i fjo frir djus j {ks= 1/19-58 g0½ dk vQkjLVs ku u djokuk jkf'k : 0 653-87 yk[k	653.87	1	0
97	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	6ख	o{kka dh de dVkbz djok; k tkuk &6441-15okY; eA	-	1	0
98	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2017-18	6ग	Q.M dk iz ks u djuk 455.74yk[k : lk; A	455.74	0	0
99	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	1क	गलत साईट के चयन के कारण उज्जल माजरी गाँव में वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम पर निष्फल व्यय राशि 9.55 लाख	9.55	1	1

100	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	1ख	खेरागनी में काज-वे के निर्माण पर निर्धक व्यय- राशि 36.98 लाख रुपये	36.98	0	0
101	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	2	कैम्पा स्कीम के तहत करवाए गये एस.एम.सी कार्यों पर अनियमित खर्च- राशि 6.19 करोड़ रुपये	619.00	1	0
102	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	4	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	1	0
103	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	6क	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय- राशि 0.68 लाख रुपये व एक ही साईट पर दो से तीन बार पौधारोपण करने के कारण संदेहास्पद व्यय	0.68	1	0
104	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	6ख	त्रिफला स्कीम में पौधारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना व पौधों की अधिक खरीद के कारण निरर्थक व्यय- राशि 2.19 लाख रुपये	2.19	0	0
105	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	6ग	पौधारोपण के रख रखाव न करने के कारण निष्फल व्यय- राशि 13.87 लाख रुपये	13.87	0	0
106	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	10क	कर्मचारियों के भुगतान ई.पी.एफ/ई.एस.आई की कटौती- राशि 79.59 लाख रुपये	79.59	1	0
107	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	10ख	स्टॉक एंव स्टोर/भण्डार का भौतिक सत्यापन न करना	-	0	0
108	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	10ग	रोकडबही की अनियमिततायें	-	1	0
109	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	1 रोकडबही में दिनांक की प्रविष्टि न करना	-	0	1

110	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	2 रोकड़बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
111	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	3 खजाना तालिका तथा कोषालय से आहरण का रोकड़बही से मिलान न करना	-	0	0
112	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	4 अनुपयोगी वाहन को निलाम न करवाना	-	1	0
113	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	5 अधिकारियों/कर्मचारियों से बकाया रिकवरी राशि-1.54 लाख	1.54	1	0
114	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	0	6 कैम्पा स्कीम, स्टेट स्कीम एवं शिवालिक विकास एजेंसी की बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट तैयार न करना	-	1	0
115	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2018-19	7	7 रोकड़बहियों को नियमानुसार न बनाना	-	1	0
116	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2019-21	2	सरकारी धनराशि का दुरुपयोग राशि 13.50 लाख रुपये	13.50	1	1
117	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2019-21	5	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194Cके अंतर्गत आयकर की श्रौत पर कटौती (TDS) ना करना धनराशि 0.54 लाख	0.54	1	0
118	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2019-21	6	भूमि अधिग्रहण की वृद्धि राशि के भुगतान में देरी से ब्याज के अधिक भुगतान से खजाने को हानि धनराशि 4.14 लाख रुपये।	4.14	1	0
119	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	1	पौधारोपण कार्यों पर किया गया अधिक व्यय (राशी रु.0.22 लाख)	0.22	1	1

120	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	2	परफॉरमेंस गारंटी की कटौती नहीं किया जाना। रु. 0.73 लाख	0.73	1	0
121	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	3	CGST नियमों के नियम 138 का अनुपालन नहीं करना।	-	1	0
122	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	4	आउटसोर्सिंग एजेंसी को अनुचित लाभ प्रदान करना	-	1	0
123	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	5	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय-राशी 5.00 लाख+ राशी 3.31 लाख(प्रिवियस ऑडिट 2019-20)	8.31	1	0
124	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	6	कंडम सामान की नीलामी न करवाना।	-	1	0
125	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	R1	कटे हुए वृक्षों की रोयल्टी की पूर्ण प्राप्ति न करना (रु.65.46लाख)	65.46	1	0
126	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अंबाला शहर	2020-21	R2	डेमेज रिपोर्ट से संबंधित बकाया राशी की वसूली न करना रु 64.70 लाख तथा अदालती व अन्य केशों का निपटारा न करना	64.70	1	0
127	प्रधान सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा	2021-22	1	2017-18 में 21 लाख क्लोनल यूकेलिप्टस पौधों की अनियमित खरीदा	-	1	1
128	प्रधान सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा	2021-22	2	निष्फल व्यय रु 18.85 लाख (Paudhagiri Scheme)	18.85	1	0
129	प्रधान सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा	2021-22	3	सोनीपत वन मंडल कार्यालय में हॉल कमरे के निर्माण हेतु दी गई प्रशासनिक अनुमति में पाई गई त्रुटियाँ।	-	1	0

130	प्रधान सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा	2021-22	4	पौधों के कम अस्तित्व के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न करना।	-	1	0
131	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2014-15	9	नकारा वाहन की नीलामी न करवाना रु 3.92 लाख	3.92	1	1
132	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	1	स्वत सहायता समूहों से ऋण की बकाया वसूली रूपए 25.22 लाख	25.22	1	1
133	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	2	कर्मचारियों से बकाया वसूली रूपए 55.86	55.86	1	0
134	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	5	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधा रोपण साईट्स में बदलाव भूमि 62.9704 हैक्टेयर	-	1	0
135	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	6	अस्थाई जगहों पर पड़े लकड़ियों का निपटान ना करना 3719.6 घनमीटर	-	1	0
136	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	7	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अतिरिक्त व्यय रूपए 6.09 लाख	6.09	1	0
137	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2015-17	R1	फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लम्बित मामलों का निपटारा न होना रु. 13.97 लाख	13.97	1	0
138	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2007-08	8	लकड़ी की कमी पाए जाने पर कार्यवाही न करने से हानि रु 1.75 लाख	1.75	1	1
139	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2014-15	4	पेड़ों की क्षति रिपोर्ट के अनुसार संबंधित से रिकवरी न करना रु 1.72 लाख	1.72	1	0
140	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2014-15	6d	विभागीय जांचों के अधूरा रहने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होना	-	1	0
141	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2015-16	2	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट्स में बदलाव-भूमि 26.6147 हैक्टेयर – राशि 303.67 लाख रुपये	303.67	1	1

142	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	1	फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के अन्तर्गत परिवर्तित वन भूमि के लम्बित मामले राशि -594.37 लाख।	594.37	1	1
143	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	2(ख)	अदालती एवं फोरेस्ट एक्ट की अवहेलनाके लम्बित मामलो का निपटारा नकरना -105 एवं शेष मामलो से सम्बन्धितक्षति पूर्ति राशि का ऑडिट को रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना।	-	1	1
144	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	5	9553 पेड़ो(2997.15 वाल्यूम/क्यूम) का निपटान न करने के कारण सरकारी राजस्व की हानि।	-	1	0
145	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	6(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें	-	1	0
146	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	1	एफ0डी0ए0 स्कीम से सम्बन्धित बैंक खाते का अनियमित खोला जाना/बैंक खाते को बंद न करवाना राशि-4,411/-रुपये।	-	0	1
147	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	2	10 अधिकारियो/कर्मचारियो की स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती।	-	0	0
148	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	3	भण्डार की बेकार मदों एवं अनुपयोगी वाहन को निलाम न करवाना राशि-2.15 लाख।	-	0	0
149	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	4	4.रेजों द्वारा रिकार्ड का नियमानुसार सही न बनाना।	-	0	0
150	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	5	5.रेजों द्वारा बकाया डैमेज रिपोर्ट का रिकार्ड प्रस्तुत न करना	-	0	0
151	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	6	6.रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइडिंग को सत्यापित न करवाना/योगो की जाँच न करवाना	-	0	0
152	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	6(ख)	अधिकारियो/कर्मचारियो से बकाया राशि को वसूली-रुपये 149.90	149.90	1	0



153	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	2018-19	R1	सरकारी सम्पत्ति की बिक्री से सम्बंधित राजस्व की वसूली न करना राशि 5.41 लाख	5.41	1	0
154	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2011-12	2क	पौधारोपण असफलता से सरकार को वित्तीय हानि	24.43	1	1
155	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2013-14	1	बैंक वेजिज की अदायगी संबंधित दो पी अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूली न करना	5.51	1	1
156	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2013-14	7	अनुपयोगी स्टोर के सामान की नीलामी न करना	20.42	1	0
157	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2013-14	9	वन विभाग विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा	-	1	0
158	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2015-16	2	निजी भूमि पर अर्थ वर्क करवाने के कारण सरकार को हानि राशि 5.23 लाख रुपये।	5.23	1	1
159	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2015-16	4b	इन्टरी प्वाइंट एक्टिविटी (ई.पी.ए.) की राशि का उपयोग न करना—3.28 लाख रुपये	3.28	1	0
160	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2015-16	6	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट्स में बदलाव—भूमि 147.00 आर0के0एम0।	-	1	0
161	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2015-16	8	रोकड़ बही की अनियमिततायें	-	1	0
162	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2015-16	1	<u>खजाना तालिका (ई0पी0एस0) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।</u>	-	1	1
163	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	1-	कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन न करवाना राशि—रुपये 3830.47 लाख।	3,830.47	1	1
164	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	2-	अदालती एवं फोरेस्ट ऐक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	-	1	0
165	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	3(क)-	पेजों की कम कटाई करवाया जाना—341.46वाल्यूम (1660 पेड़)।	341.46	1	0

166	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	3(ख)	विभिन्न रेंजों के अंतर्गत पड़े 50 लॉग्स एवं 8564 पेड़ों (कुल 2002.008 क्युम) का निपटान न करना।	-	0	0
167	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	4(ख)	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि—रुपये 10.52 लाख।	10.52	1	0
168	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	5(क)-	ठेकेदारों/कर्मचारियों से बकाया वसूली न करना राशि—रुपये 16.82 लाख।	16.82	1	0
169	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	5(ख)-	अनुपयोगी वाहन को निलाम न करने से सरकार को राजस्व की हानि राशि—रुपये 5.79 लाख।	5.79	0	0
170	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	5(ग)-	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें:	-	0	0
171	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	2	2 ग्रीन इंडिया मिसन के तहत खोले गये बचत खाते में सम्बंधित विभाग को ब्याज राशि का वापिस न करना—रुपये 0.62 लाख।	-	1	0
172	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	3	4 कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन से सम्बंधित रिकार्ड का न बनाना।	-	1	0
173	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	4	5 हर्बल पार्क जींद (जींद रेंज) से सम्बंधित प्राप्तियों को बैंक खातों में जमा करना।	-	1	0
174	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	2018-19	5	9 खजाना तालिका (ई0पी0एस0) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	0.62	1	0
175	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2010-11	1	वन भूमि के गैर वन भूमि उद्देश्य हेतु प्रयोग के लिए परिवर्तन करने पर प्रतिपूर्ति राशि का प्राप्त न करना	62.71	1	1
176	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2013-14	2	बिना कार्य के भुगतान के कारण सरकार को हानि	14.02	1	0
177	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2013-14	5	Non recovery of laon Rs. 1.10 lakh	1.10	1	0

178	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2014-15	2	पौधारोपण स्कीम निम्न जीववता तर के कारण सरकार को नुकसान राशि रु 3.84 लाख	3.84	1	0
179	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2016-17	2	कर्मचारियों से बकाया वसुली रु 8.89 लाख	8.89	1	0
180	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	2016-17	5 (क)	नाकारा अनुपयोगी वाहन की नीलामी न करना	-	1	0
181	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) भिवानी के साथ मर्ज हो गया है)	2016-17	2	न्यूनतम सफलता दर के कारण पौधारोपण पर निष्फल व्यय राशि 25.85 लाख	25.85	1	1
182	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2001-02	1	दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मस्टर रोजल के आधार पर अनुचित ढग से नियुक्त करके 8.54 लाख रु का अनुचित भुगतान	8.54	1	1
183	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2002-03	1	दैनिक वेतन भोगियों को मस्टर रोजल पर वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति व अदायगी 18.67 लाख रु	18.67	1	1
184	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2015-16	2	खरीदे गये फलदार पौधों को अकांऊट फार न करना राशि 24.20 लाख रु	24.20	1	0
185	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2018-19	3	बरदू नर्सरी में विविध ऑडिट टिप्पणियां	-	1	0
186	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2018-19	2	पौधारोपण लौहारू रैंज में अंतर वृ 10464 पौध	-	1	0
187	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2018-19	3	नर्सरी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अप्ररुवल के 14748 पौधों की खराब डिकलेयर करना।	-	1	0

188	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2018-19	7(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें	-	1	0
189	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2018-19		ग्रीन इंडिया मिसन स्कीम में रुपये 5.64 लाख शेष होने पर भी किये गये कार्यों से संबंधित राशि रुपये 2.48 लाख का भुगतान न करना।	5.64	0	0
190	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	1	पौधारोपण एवं निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के टेंडर के रेट में अंतर- राशि रु. 3.75 लाख ।	3.75	0	1
191	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	2 ग	अस्थायी जगह पर पड़े लॉगज का निपटान न करना- वॉल्यूम 933.682.	-	0	0
192	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20		ख. वृक्षों की कम कटाई करवाया जाना 9346.08 वॉल्यूम	-	0	0
193	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	3	कर्मचारियों के भुगतान EPF/ESI की कटौती- राशि रु. 70.47 लाख ।	70.47	1	0
194	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	6	क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली न करना- रु. 9.68 लाख ।	9.68	1	0
195	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	7 क	कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि- रु. 58.91 लाख ।	58.91	1	0
196	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	2019-20	7 ख	नकारा अनुपयोगी वाहनों की कंडम्मेंशन/नीलामी न करवाना- रु. 3.92 लाख	3.92	0	0

197	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	2016-17	1	गलत साईटों पर हरियाली क्षेत्र विकसित करने पर खर्च राशि—रूपये 8.08 लाख	-	1	1
198	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	2016-17	2	निर्धारित मानदंड के अनुसार पौधारोपण न करने के बावजूद भी जांच व मूल्यांकन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही न करना राशि—रूपये 5.67 लाख।	-	1	0
199	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	1क)	अनियमित खरीद से हानि।	-	1	1
200	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	1ख)	पंप सेट की टुकड़ों में खरीद व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेना राशि रु. 0.60 लाख।	0.60	0	0
201	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	2क)	निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करने से बजट का अवरोधन राशि सरेंडर करना।	-	1	0
202	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	2ख)	CAMPA/FDA स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करना।	-	0	0
203	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	2ग)	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करना।	-	0	0
204	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	3क)	जीप की नीलामी न करना।	-	1	0
205	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	3ख)	कर्मचारियों को दिए गए गैहूँ अग्रिम का उपयोगिता प्रमाण पत्र न लेना राशि।	-	0	0
206	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	3ग)	रोकड बही की अनियमितताएं।	-	1	1
207	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	0	1) रोकड बही में कटिंग/ओवरराईटिंग	-	0	0
208	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	2019-20	0	2) ट्रेजरी शैड्यूल का रोकड बही में दर्ज राशियों से मिलान न करना।	-	1	0

209	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2014-15	1	Non realization of damage reports	1.16	1	1
210	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2014-15	5	Non realization of damage reports	4.70	1	0
211	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	1(क)	पौधारोपण में 2300 पौधों की संख्या का कम पाया जाना।	-	0	1
212	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	पौधारोपण में ओवर लैपिंग के कारण नुकसान।	-	0	0
213	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	स्कीम के अनुसार पौधारोपण न करना।	-	1	0
214	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	पौधारोपण की कम सफलता प्राप्ता होना।	-	0	0
215	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	अस्थाई जगहों पर पड़े लॉगज का निपटान न करना – (3073.0041 वाल्यूम)।	-	1	0
216	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	3	कर्मचारियों से बकाया वसूली – रुपये 24.14 लाख	24.14	1	0
217	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	4(क)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति बिना वन भूमि का डाई वर्जन करना क्षेत्रफल 23.15104 है. कुल कीमत 326.07 लाख रु।	326.07	1	0
218	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	5	रोकड़ बही की अनियमिततायें –	-	1	0
219	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	6. आरा मिलों से लाईसेंस रिन्यू फीस की वसूली न करना रु 1.50 लाख	1.50	0	0
220	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2018-19	0	7. भुगतान के बावजूद सामग्री प्राप्त ना करना रु 4.30 लाख।	4.30	0	0

221	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2012-13	1	इम्पुवमेन्ट ट्रस्ट करनाल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत बिना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किये आरक्षित वन भूमि का प्रयोग 12.8375 है०	-	1	1
222	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2012-13	7	कर्मचारियों/ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि	52.84	1	0
223	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2014-15	1	पौधारोपण की कम सफलता की वजह से वसूल ने योग्य राशि रु 27.37 लाख	27.37	1	1
224	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2016-17	3	महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव में कमियाँ	-	1	1
225	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2016-17	4	कार्यों के कार्यन्वयन पर अधिक भुगतान रु 36184	0.36	1	0
226	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	2016-17	5	बिना तत्काल आवश्यकता के सामान खरीदने के कारण वित्तीय हानी- रु 0.38 लाख	0.38	1	0
227	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2002-03	5	श्री रामेश्वर दास पुत्र देवतिया को बैंक वेजिज की राशि 81330 रु की स्वीकृति बारे	0.81	1	1
228	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2012-13	8	नकारा स्टोर वस्तुएं/आईटमस रु 1.32 लाख	1.32	1	1
229	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2013-14	1	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्थलों में बदलाव भूमि 74.11RKM तथा 18.8156 है०	-	1	1
230	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत		5a	टिम्बर फार्म 7 में पड़ी लकड़ी का समायोजन न करन रु 1.67 लाख	1.67	1	0
231	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2014-15	1	ट्री गार्ड की खरीद पर रु 2.42 लाख का अधिक भुगतान	2.42	1	1
232	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2014-15	2	Payment of back wages Rs. 3.00 lakh	3.00	1	0
233	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2014-15	4	स्टोर सामग्रियों का कम पाया जाना	-	1	0

234	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	1	271 लॉग्स एंव 4122 पेड़ों (कुल 1339.367 वाल्यूम/क्यूम का निपटान न करना एंव पानीपत रेंज की बीट्स में 1178 पेड़ों/वाल्यूम 333.22 क्यूम का कम पाया जाना।	-	1	1
235	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	4(क)	अदालती एंव फॉरेस्ट ऐक्ट की अवहेलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	-	1	0
236	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	4(ख)	कार्यों का विलेज फॉरेस्ट कमेटी द्वारा करवाना राशि- रुपये 2.53 लाख	2.53	0	0
237	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	5(ख)	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का वित्तीय वर्ष में उपयोग न करना राशि - रुपये 41.80 लाख	41.80	1	0
238	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	6(क)	रोकड़ बही एंव अन्य अनियमिततायें	-	0	0
239	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	0	1.कर्मचारियों से रिकवरी शेष राशि 7.04 लाख	7.04	0	1
240	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	0	2. 09 कर्मचारियों की स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती।	-	0	0
241	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	0	4. सरकारी राजस्व को समय पर खजाने में जमा न करवाना राशि 8.28 लाख रुपये।	4.90	0	0
242	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	0	5. एफ.डी.ए. स्कीम के तहत खाते का खोला पाया जाना राशि 2.73 लाख	-	0	0
243	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	0	16. कम्पनसेटरी अफॉरस्टेशन से संबंधित रिकार्ड सही न बनाना	8.28	1	0
244	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	6(ख)	अनुपयोगी मर्दों/वाहनों को निलाम न करने से सरकार को राजस्व की हानि राशि रुपये 2.02 लाख	2.02	1	0
245	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	2018-19	R1	डैमेज रिपोर्ट से संबंधित राशि को सरकारी खजाने में देरी से जमा करवाना रुपये 0.57 लाख रुपये	0.57	1	0



246	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2010-11	5A	ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया वसूली	3.43	1	1
247	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2014-15	1	वसूलनीय राशि रु 939631/- लाख रुपये	9.40	1	1
248	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	1	अस्थाई जगहों पर पड़े(23.48 घन फुट) लकड़ियों का निपटान ना करना	-	1	1
249	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	3	कर्मचारियों से बकाया वसूली-रुपये 85.91 लाख	85.91	1	0
250	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	8a	रोकड़ बही की अनियमितताये	-	1	0
251	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	0	1. रोकड़ बही में दिनांक की प्रविष्टि ना करना	-	0	0
252	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	0	2. खजाना तालिका (ई0पी0एस0) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना:	-	0	0
253	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	0	3. खजाना में जमा चालान लेखा के साथ प्रस्तुत न करना	-	0	0
254	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	0	4. सी0टी0आर0 का मण्डल स्तर पर खजाना में जमा राशि से मिलान न करना	-	0	0
255	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	8b	स्थापना के व्यय की रोकड़ बही ना बनाना	-	1	0
256	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	2015-16	1R	जुर्माने की राशि वसूल ना करना रु 0. 10 लाख	0.10	1	1

257	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2012-13	4	Non recovery of amount from self help groups Rs. 6.80 lakh	6.80	1	1
258	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2014-15	1	नर्सरी के टी.पी. पौधों की नष्ट होने के कारण विभाग को नुकसान 1.40 लाख रु तथा वृक्षों की अवैध कटाई	1.40	1	1
259	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2014-15	3	क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली न करना	5.46	1	0
260	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2015-16	1	पौधारोपण की न्यूनतम सफलता से होने वाली वित्तीय हानि की वसूली 14.02 लाख रुपये	14.02	1	1
261	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	2(क)	1625 लॉग्स एवं 426 पेड़ों (कुल 536.312 वाल्यूम/क्युम) का निपटान एवं बहादुरगढ़ रेंज का टिम्बर से सम्बंधित पूर्ण रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत न करना।	-	1	1
262	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	4(क)	अदालती एवं फोरेस्ट ऐक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना-28।	-	1	0
263	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	4(ख)	डैमेज रिपोर्ट से सम्बंधित बकाया राशि की वसूली न करना राशि-रुपये 1.50 लाख एवं मण्डल तथा रेंजों के रिकार्ड का आपस में मिलान न करना।	1.50	0	0
264	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	5(ख)	स्टेट एफ0डी0ए0 स्कीम से सम्बंधित बैंक खाते का अनियमित खोला जाना/बैंक खाते को बंद न करवाने कारण सरकारी निधि का अवरोधन राशि-रुपये 13.92 लाख।	13.92	1	0
265	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	6(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें:	-	1	0
266	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	0	2 अनुपयोगी वाहन को निलाम न करवाना राशि -रुपये 2.45 लाख।	2.45	0	0
267	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	0	3 अधिकारियों/कर्मचारियों से बकाया रिकवरी राशि-रुपये 2.71 लाखA	-	0	0

268	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	2018-19	6(ख)	बकाया वैजिज की अदायगी राशि-रुपये 34.56 लाख।	34.56	0	0
269	मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा-2) गुडगांव	1995-97	2	Non adjustment of advance Rs. 1.20300	1.20	1	1
270	मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा-2) गुडगांव	1999- 2000	1	वाहनों की अग्रिम राशि का अनियमित	-	1	1
271	मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा-2) गुडगांव	2001-03	1	दोषी कर्मचारी अधिकारी से बकाया राशि वसूल न करना रु 1.08 लाख	1.08	1	1
272	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2004-05	4	कम पाए गए पेड़ों की कीमत की वसूली न करना	0.36	1	0
273	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2014-15	5b	नकारा मशीन व टुल्स तथा स्टोर वस्तुओं के सामान की निलामी न करवाना राशि 1.56 लाख रुपये	1.56	1	1
274	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	1	बिना टैंडर के कार्य छोटे-छोटे ठेकेदारों को अलॉट करने पर अनियमित खर्चा रु 176.30 लाख	176.30	1	1
275	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	2b	पौधारोपण की कम सफलता एवं अन्य कारणों से विभाग को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधित स्टॉफ से न करना राशि 43.23 लाख रुपये	43.23	1	0
276	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	4	अनियमित खरीद राशि 14.08 लाख रु	14.08	1	0
277	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	5b	फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत अवहेलना के केसों का निपटान न करना	-	1	0
278	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	7	रोकड़ बही की अनियमितताएं	-	0	0
279	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2015-16	0	12 अनियमित खर्चा 7.90 लाख	7.90	0	0

280	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2017-18	1R	रायल्टी देरी से जमा करवाने पर ब्याज की रिकवरी न करना रु 16.50 लाख रु	16.50	1	1
281	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2017-18	1(ख)	वृक्षकवच के खरीद पर अनियमित व्यय राशि—रूपये 22.50 लाख एवं अधिक भुगतान राशि 1.50 लाख	22.50	1	0
282	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2016-17	2(क)	पौधारोपण पर निष्फल व्यय राशि रु 12.82 लाख।	12.82	1	0
283	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	2क	प्लांट्स को साईट तक ले जाने हेतु अधिक भुगतान करना राशि रूपये 2.08 लाख।	2.08	1	0
284	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	2ख	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि 80.18 लाख रूपये	80.18	0	0
285	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	2ग	पत्थर के टुकड़ों से बनाये गये दीवारों पर परिहार्य व्यय राशि रु. 6.75 लाख।	6.75	0	0
286	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	3क	वन क्षेत्र पर अवैध निर्माण व यूजर एजेंसी से क्षतिपूर्ति मुआवजा न लेना राशि 26.42 करोड़ रूपये	-	1	0
287	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	3ख	वन्य भूमि के बदले प्राप्त गैर वन्य भूमि पर कब्जा न करने के कारण कम क्षतिपूरक वनीकरण।	-	0	0
288	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	3ग	वन भूमि को परिवर्तित करने पर कम क्षतिपूर्ति पौधारोपण करना	-	0	0
289	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	4क	कैम्पा फण्डस का दुरुपयोग एवं कैम्पा फण्डस द्वारा उपलब्ध करवाई गई गाड़ी से अनाधिकृत रूप से की गई यात्रा।	-	1	0
290	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	4ख	चन्दन की लकड़ी के लॉग्स का निपटान न करना।	-	0	0
291	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	4ग	रेंजों के अंतर्गत पड़े 435 लॉग्स (कुल 51.09 क्युम) का निपटान न करना।	-	0	0

292	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	5क	स्कीम रीहेबिलीटेशन ऑफ अरावली हिल्ज का कार्य वि लेशन।	-	1	0
293	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	0	1 ट्रेनिंग का न बनाना।	-	0	1
294	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	0	2स्कीम के तहत अन्य उद्देश्य हेतु फण्ड का उपलब्ध न करवाना।	-	0	0
295	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	5ख	अवैध गतिविधियों के कारण वन सम्पत्ति को नुकसान।	-	1	0
296	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	5ग	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	0	0
297	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	5घ	पेड़ों की अवैध कटाई	-	1	0
298	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	6क	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान - राशि 71.09 लाख रूपये	71.09	1	0
299	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	6ख	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तो पर अनियमित अतिरिक्त व्यय-रूपये 58.55 लाख।	58.55	0	0
300	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	6ग	ठेकेदारों एवं कर्मचारियों से बकाया वसूली-रूपये 40.13 लाख।	40.13	0	0
301	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	8क	कमजोर वित्तीय प्रबंधन	-	1	0
302	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	8ख	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि-रूपये 49.91 लाख।	49.91	0	0
303	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	भाग iv 1	सरकारी सम्पत्ति की बिक्री से सम्बंधित राजस्व की वसूली न करना राशि-रूपये 0.32 लाख।	0.32	1	0
304	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	2018-19	2	अतिक्रमण एवं अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से सम्बंधित डैमेज रिपोर्ट के टाइम बार्ड(Time Barred) होने के कारण राजस्व नुकसान - राशि 8.40 लाख रु	8.40	1	0

305	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2013-14	6	सरकारी सामग्रियों की सुपुर्दगी न करना आंतरिक नियंत्रण का अभाव	-	1	1
306	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2014-15	4a	पौधारोपण की कम सफलता के कारण विभाग को नुकसान राशि रु 7.36 लाख	7.36	1	1
307	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2014-15	4b	ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली न करना रु 1.46 लाख	1.46	0	0
308	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	1	गूगल प्रोजेक्ट पर निष्फल व्यय रु 40.59 लाख	40.59	1	1
309	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	2	मनेटी नर्सरी की निरीक्षण रिपोर्ट पर वित्तीय हानि की वसूली न करना रु 4.87 लाख	4.87	1	0
310	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	5	अलाट किये गये पौधारोपण के लक्ष्यों को प्राप्त न करना।	-	1	0
311	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	6	बैंक वेजिज का भुगतान राशि रु 0.71 लाख	0.71	1	0
312	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	7	रोकड़ बही की अनियमिततायें:	-	1	0
313	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2016-17	1	1. खजाना तालिका (ई0पी0एस0) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना:	-	1	1
314	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	2	2. सी0टी0आर0 का मण्डल स्तर पर खजाना में जमा राशि से मिलान न करना:	-	1	1
315	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	1	फोरेस्ट ऐक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा न होना रु 2.48 लाख	2.48	1	1
316	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	1	एक घटक में अधिक खर्चा एवं फण्डस का डायवर्जन- राशि 59.36 लाख रुपये	59.36	1	1
317	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	2क	वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि का गलत चयन	-	1	0
318	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	2ख	वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि की प्राप्ति न होना।	-	0	0

319	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	2ग	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	0	0
320	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	3	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय- राशि 25.08 लाख रुपये	25.08	1	0
321	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	4	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान- राशि 30.36 लाख रुपये	30.36	1	0
322	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	5ख	अनुपयोगी वाहनों/मशीनरी को नीलाम न करवाने से सरकार को राजस्व हानि राशि 5.60 लाख रुपये	5.60	1	0
323	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	6क	पौधों की मेंटेनेंस पर अधिक खर्च- राशि 41.44 लाख रुपये	41.44	1	0
324	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	6ख	बचाया जा सकने वाला व्यय- राशि 28.22 लाख रुपये	28.22	0	0
325	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	6ग	रैंजों के अंतर्गत पड़ लॉग्स का निपटान न करना एंव एच.एफ.डी.सी. से रॉयल्टी की प्राप्ति न होना।	-	0	0
326	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	6घ	अवैध गतिविधियों के कारण वन सम्पत्ति को नुकसान	-	1	0
327	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	7ख	फंड्स का उपयोग न करना- राशि 18.25 लाख रुपये	18.25	1	0
328	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	2019-20	7ग	वन भूमि को परिवर्तित करने पर कम क्षतिपूर्ति पौधारोपण करना	-	0	0
329	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2011-12	6	jk"Vh; jktekxkã, oa jkT; jktekx l ij vošk vfrdæ.k : 3- 8037 gD	-	1	1
330	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2014-15	3	fuf/k; kã dk Mk; otũ djuk : 63-81 yk[k	63.81	1	1
331	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2015-17	5b	l heã/ dks mi ; kx ea u ykuk jkf'k 422-18 :	422.18	1	0

332	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2015-17	7	fuf/k; ka dk MkbbtU djuk : 1-87 yk[k	1.87	1	0
333	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2017-18	2	कम्पनसेटरी vQkj LVs ku u djokuk jkf'k : 0 292.38 लाख	292.38	1	1
334	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2017-18	4	depkfj ; ks@Bcdnkjka l s cdk; k ol yjh&: lk; s 12.51 लाख	12.51	1	0
335	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	1	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि 69.45 लाख	69.45	1	1
336	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	2	कर्मचारियों के भुगतान EPF/ESI की कटौती- राशि 15.27 लाख रुपये	15.27	1	0
337	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	3	पौधारोपण एवं निर्माण कार्यों को कोटेशन पर करवाना- राशि 67.30 लाख रुपये	67.30	1	0
338	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	6	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	1	0
339	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	7	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान- राशि 6.16 लाख रुपये	6.16	1	0
340	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	8	अवैध गतिविधियों के कारण वन्य सम्पत्ति को नुकसान	-	1	0
341	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	9	यूजर एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण के 28.39 लाख रुपये न लेना	28.39	1	0
342	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	10	रिकार्ड के उचित रख-रखाव न होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन	-	1	0
343	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	11	गुग्गल प्रोजैक्ट के कार्यान्वयन से संबंधित खामियां	-	1	0
344	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	12	रोकड़बही की अनियमिततायें	-	1	0
345	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	0	4 सी.टी.आर. का खजाना से सत्यापन न करवाना	-	0	0



346	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2018-19	0	6 वी.एफ.सी. को दिया गया अदेय वित्तीय लाभ राशि- 0.40 लाख रु	0.40	0	0
347	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	1	वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि की प्राप्ति ना होना।	-	1	1
348	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	2	पौधारोपण की कम सफलता।	-	1	0
349	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	3	कैम्पा स्कीम मे जारी फण्ड का उपयोग ना करना राशि 135.99 लाख	135.99	1	0
350	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	4	क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली ना करना	-	1	0
351	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	5	रोकडबही की अनियमितताये	-	1	0
352	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	0	4. सरकारी हिदायतों के अनुसार व्यय न करना।	-	0	0
353	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	0	5. राजस्व प्राप्ति बुक प्रस्तुत न करना	-	0	0
354	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	0	6. सरकारी धन का संभावित दुरुव्यवित्तियोजन रु 1.90 लाख	-	0	0
355	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	2019-20	0	7. रैंजो के अंतर्गत पडे लॉग्स (28.14cum) का निपटान न करना।	1.90	0	0
356	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2012-13	7	नकारा स्टोर वस्तुएं/आइटमें	3.12	1	1
357	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2015-16	4	वन संरक्षण अधिनियम 1980 की स्वीकृति लिए बिना भूमि का डाईवर्जन करना भूमि 205 है0 व नेट वर्तमान वैल्यू भी प्राप्त न करना राशि रु 1818.35 लाख	1,818.35	1	1

358	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	1	पर्यावरण न्यायालय से संबंधित पी.सी. केसों को समय पर तैयार न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि राशि - 91.60 लाख।	91.60	1	1
359	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	3(क)	सैक्सन 4 व 5 वन क्षेत्र में करवाये गये भू एवं जल संरक्षण कार्य पर किया गया व्यय राशि - रुपये 70.00 लाख।	70.00	1	0
360	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	3(ख)	सायल कन्जरवेशन के कार्य पर अनियमित व्यय 114.31 लाख।	114.31	0	0
361	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	4(ख)	स्कीम रीहेबिलीटेशन ऑफ अरावली हिल्लज का कार्य विश्लेषण।	-	0	0
362	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	1	1 ट्रैन्चिज का न बनाना तथा पौधारोपण न करना।	-	1	1
363	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	2	2 फण्ड का सरेंडर करना राशि - 30.82 लाख रुपये।	30.82	1	0
364	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	3	फण्ड का उपलब्ध न करवाना।	-	1	0
365	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	5(ख)	स्टेट फोरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) स्कीम से संबंधित जारी राशि का उपयोग न करना - रुपये 9.36 लाख।	9.36	1	0
366	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	5(ग)	ग्रीन इंडिया मिसन स्कीम में फण्ड का उपयोग न करना राशि - रुपये 3.65 लाख।	3.65	0	0
367	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	6(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें :-	-	1	0

368	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	0	1. राजस्व प्राप्तियों को देरी से खजाने में जमा करवाना राशि -0.16 लाख.	-	0	1
369	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	0	4. वाउचरों पर पेड़ एवं कैसिल/रद्द की मोहर न लगाना।	0.16	0	0
370	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	0	5. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	-	0	0
371	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	0	6. रसीद बुक को रिकार्ड न रखना।	-	0	0
372	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	6(ख)	बकाया वैजिज की अदायगी राशि - रूपये 31.79 लाख।	31.79	1	0
373	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	6(ग)	ठेकेदारों एवं कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि - रूपये 3.65 लाख।	3.65	0	0
374	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	2018-19	6(घ)	Non-production of record/information	-	0	0
375	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2012-13	1	अरावली क्षेत्र में खनन के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उल्लंघन तथा पर्यावरण और सरकारी संपदा का नुकसान रु 23.72 लाख	23.72	1	1
376	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2014-15	4a	पौधरोपण की कम सफलता से सरकार को नुकसान रु 8.59 लाख	8.59	1	1
377	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2014-15	5b	भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट्स में बदलाव भूमि 59.063 है०	-	0	0

378	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	1	ट्री गार्ड की खरीद से राशि का अवरोधन रु 14.43 लाख	14.43	1	1
379	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	5a	जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट में पाई पौधा रोपड़ की कम सफलता पर राजस्व की हानि की वसूली ना करना रु 1.09 लाख	1.09	1	0
380	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	5b	जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट पर कार्यवाही ना करना	-	0	0
381	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	6	विविध अनियमितताएं 1	-	1	0
382	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	1R	फोरेस्ट एक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा ना होना रु 25.05 लाख	25.05	1	1
383	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2015-16	1	राशि को अन्य कार्यों पर अनियमित खर्च करने से स्कीमों का उद्देश्य/लक्ष्य प्राप्ति न होना - राशि 1.25 करोड़ रुपये	125.00	1	1
384	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	2क	पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण बचाया जा सकने वाला व्यय- राशि 6.27 करोड़ रुपये	627.00	1	1
385	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	2ख	विभागीय भवनों की मुरम्मत न करवाना	-	0	0
386	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	3	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान- राशि रु 1.36 करोड़	136.00	1	0
387	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	4क	अरावली हिल्स पर अवैध माईनिंग	-	1	0

388	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	4ख	वन भूमि पर अतिक्रमण	-	1	0
389	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	5	डैम्स के निर्माण से संबंधित खामियां	-	1	0
390	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	0	1 कार्यो को टुकड़ों में बाँट कर करवाना	-	0	1
391	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	0	2 तकनीकी कार्यो को कम अनुभवी स्टाफ से करवाना	-	0	0
392	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	0	2 करवाये गए कार्य से अधिक भुगतान	-	0	0
393	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	0	3 मंडल अधिकारियों द्वारा उचित निगरानी न करना	-	0	0
394	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	0	4 एम.बी. बुक राशि व वास्तविक खर्च में अंतर	-	0	0
395	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	6क	पौधारोपण की सफलता मानक अनुसार न होना	-	1	0
396	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	6ख	रैजों के अंतर्गत पड़े 1124 लॉग्स (कुल 159.15 क्युम) का निपटान न करना	-	0	0
397	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	2018-19	8	अनुपयोगी वाहनों/मशीनरियों को निलाम न करवाने से सरकार को राजस्व की हानि राशि- रुपये 15.17 लाख	15.17	1	0

398	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	9	रोकड़बही एंव अन्य अनियमिततायें	-	0	0
399	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	1 रोकड़बही में दिनांक की प्रविष्टि न करना	-	0	1
400	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	2 रोकड़बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
401	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	3 खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़बही से मिलान न करना	-	0	0
402	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	4 रेंजों से संबंधित नर्सरीज का रिकार्ड अपडेट न करना	-	0	0
403	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	5 नर्सरी द्वारा बेचे गये पौधों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न करना	-	0	0
404	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	6 कैम्पा स्कीम की बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार न करना	-	1	0
405	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूह)	2018-19	0	7 रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाना	-	1	0
406	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2012-13	4	स्टोर सामग्रियों की सुपुर्दगी न करना आंतरिक नियंत्रण का अभाव;1:द्ध	-	1	1
407	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2014-15	1	पौधारोपण के लिये अर्थ वर्क पर नि फल व्यय	0.45	1	1
408	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2014-15	5	खजाने में पारित किये गये बिलों का बैंक से राशि आहरण के बाद लुटा जाना राशि	12.14	1	0

409	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	1	अनुसूचित गांवों में पौधारोपण स्कीम पर अनियमित खर्च राशि 11.61 लाख	11.61	1	1
410	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	2	अस्थाई जगहों पर पड़े लॉग्स निपटान न करना वाल्यूम 304.86 घन मी.	-	1	0
411	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	4a	रिविटलाईजेशन ऑफ इन्सटिट्यूट इन अरावली हिल्स प्लान स्कीम में अनियमित खर्च राशि 14.04 लाख	14.04	1	0
412	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	7	रोकड़ बही की अनियमितताएं	-	1	0
413	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	0	4)सेवा पुस्तिकाओं का संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को न दिखाया जाना	-	0	0
414	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	0	5)योगों की जांच न करना	-	0	0
415	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	2015-16	0	6) रोकड़ बही में कटिंग /ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
416	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	1998-99	1	लकड़ी की कमी रु 29.47 लाख	29.47	1	1
417	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2014-15	1R	सरकारी खाते के बाहर निधियों की पार्किंग बैंक खातों का बंद न करना रु 9.26 लाख	9.26	1	1
418	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	1	सेल टैक्स की असेसमेंट न करवाना राशि - रूपये 2511.81 लाख	2,511.81	1	1
419	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	2	आवंटित पेड़ों की कटाई कार्य पूरा न करना राशि - 650.99 लाख रूपये।	650.99	1	0
420	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	3(क)	ठेकेदारों/एजेंट्सियों/कार्यालयों से बकाये की वसूली योग्य राशि - रूपये 360.61 लाख	360.61	1	0

421	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	3(ख)	फार्म-11 वसूलनीय राशि में असाधारण अंतर राशि - 202.48 लाख रुपये।	202.48	0	0
422	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	3(ग)	कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि - रुपये 26.25 लाख	26.25	0	0
423	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	4(क)	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अनियमित अतिरिक्त व्यय रुपये 6.41 लाख।	6.41	1	0
424	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	4(ख)	असमायोजित आक्समिक बिल 12/2016 एवं 09/2017 राशि- 1.75 लाख रुपये।	1.75	0	0
425	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	5(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें	-	1	0
426	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	1 ऑडिट को राजस्व से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत न करना राशि - रुपये 39.49 लाख।	-	0	1
427	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	2 राजस्व को खजाने में जमा न करना राशि - रुपये 2570/-	39.49	0	0
428	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	3 योगों की जांच न करना।	0.03	0	0
429	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	4 रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना.	-	0	0
430	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	5 वाउचरों पर पेड एवं कैंसिल/रद्द की मोहर न लगाना	-	0	0
431	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	6 खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	-	0	0



432	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	0	7 रसीद बुक फार्म-14 का रिकार्ड न रखना।	-	0	0
433	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	2018-19	5(ख)	स्टॉक एंव स्टोर के लेखे/रजिस्टर का (फार्म-16) भौतिक सत्यापन न करना।	-	1	0
434	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	2016-17	1	वर्ष 2016-17 के दौरान वर्किंग प्लान के घनत्व से कम कटाई करना।	-	1	1
435	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	2016-17	2	रोकड बही की अनियमितताएँ	-	1	0
436	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	2016-17	0	1. कटिंग/ओवरराइडिंग करना व रोकड बही का योग पक्का न करना।	-	0	1
437	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	2016-17	0	2. योग की जाँच न करना।	-	0	0
438	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	2016-17	0	3. रोकडबही की प्रविष्टि को सत्यापित न करना।	-	0	0
439	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2005-06	2	दोबारा नीलामी का कारण राजस्व की हानि की वसूली न करना	1.46	1	1
440	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2012-13	5	रोकड बही की अनिमित्ताएँ	-	1	1
441	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	0	(vi) कोषालय में जमा करवाई गई कुछ राशियों का कोषालय के जिस माह में इंद्राज दर्शाय नहीं पाय गया ।	-	0	1
442	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	1	सेल डिपूओ से वन उपज का समय पर निपटान न करने के कारण राजस्व की हानि राशि-2.00 करोड रुपये।	200.00	1	1

443	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	2	वृक्षों का समय पर कटाई न करने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति राशि- 1.70 करोड़ रुपये	170.00	1	0
444	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	3	ठेकेदारों/फर्मों से बकाया वसूली न करना राशि- 102.50 लाख रुपये।	102.50	1	0
445	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	4	आरा मिल के लाभ में निरंतर कमी।	-	1	0
446	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	2015-16	5	नकारा अनुपयोगी वाहन/मशीनरी की कण्डम/निलामी न करवाना राशि 4.53 लाख रुपये	4.53	1	0
447	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	1996-97	2	बाढ़ के कारण हुए नुकसान को बट्टे खाते में डालना	-	1	1
448	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2003-04	1	Recovering loss to the Govt. due to regularization of Services by giving unauthorized undertaking of Rs. 7.41 lakh	7.41	1	1
449	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2005-07	1	विभिन्न वन रक्षकों के विरुद्ध लकड़ी की कमी	46.91	1	1
450	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2005-07	2	ठेकेदारों से राशि प्राप्त न होना	7.98	1	0
451	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2015-16	2	ठेकेदारों से वसूलनीय राशि रु 207.77 लाख	207.77	1	1
452	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2015-16	3	ठेकेदारों से जुर्माना राशि की वसूली न करना राशि रु 0.29 लाख	0.29	1	0
453	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	2015-16	4	कर्मचारियों से बकाया वसूली रुपये 1.51 लाख	1.51	1	0
454	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), कुरुक्षेत्र	2011-12	3	लकड़ी की कमी की वसूली हेतु कर्मचारियों के विरुद्ध देय वसूली न करना राशि रु 3.68 लाख	3.68	1	1

455	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	1	Extra payable amount of Rs. 31.70 Lakhs due to improper management of dams constructed under the community forest project	31.70	1	1
456	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	2	Irregularities of cash book	-	1	0
457	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	0	Not checking of total	-	0	0
458	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	0	Not maintain cutting and overwriting in cash book	-	0	0
459	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	0	Not totaling/ totaling with pencil in cash book	-	0	0
460	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	2008-10	0	Not maintaining CTR register	-	0	0
461	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	1	अलाट किये गये पौधारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति न करने के उपरांत भी पौधारोपण पर अधिक खर्च राशि 8.07 लाख रु०।	8.07	1	1
462	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	2	पौधों की खरीद निर्धारित दर से ना करने के कारण अधिक खर्च राशि 4.91 लाख रु०	4.91	1	0
463	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	4	काडा परियोजना के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग ना करना राशि 1.00 लाख रु०।	1.00	1	0
464	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	5	रोकड़ बही की अनियमितताएं –	-	1	0

465	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	0	1. <u>योगों की जांच न करना</u>	-	0	1
466	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	0	2. रोकड़ बही में कंटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
467	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	0	3. खजाना तालिका ई.पी.एस. तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना	-	0	0
468	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	2015-16	0	4. माह के अंत में प्रमाण पत्र ना दर्ज करना।	-	0	0
469	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2013-14	3	बिक्री प्राप्ति की 30 प्रतिशत, राशि 57. 60 लाख रु की अप्राप्ति के कारण दोबारा पौधारोपण में विफलता	57.60	1	0
470	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	1	आबंटित लक्ष्य के अनुसार नर्सरी में पोधा न उगाना राशि 35.00 लाख	35.00	1	1
471	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	4	रोकड़ बही की अनियमितताए	-	1	0
472	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	0	1 योगों की जाँच न करना	-	0	0
473	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	0	2 रोकड़ बही में कंटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करना	-	0	0
474	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	0	3 ट्रेजरी शैड्यूल्स का रोकड़ बही में दर्ज राशियों से मिलान न करना	-	0	0
475	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2016-17	0	4 सर्विस बुक का अदतन सत्यापन न करना	-	1	0

476	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	2001-02	1	दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मस्टर रोल्ज के आधार पर अनुचित ढग से नियुक्त करके 17.30 लाख रु अनुचित भुगतान	17.30	1	1
477	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	2014-15	4	Non auction of condemned machinery Rs. 3.27 lakh	3.27	1	1
478	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	2015-16	3	कर्मचारियों से बकाया वसूली-रूपये 20.99 लाख।	20.99	0	0
479	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	2015-16	4	रोकड़ बही की अनियमिततार्ये:	-	1	0
480	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	2015-16	5	5.अनियमित भुगतान रु 0.84 लाख	0.84	0	0
481	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2002-03	6a	Excess payment of HRA Rs. 1.68 lakh	1.68	1	1
482	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2013-14	3	Non auction of condonmed stores/vehicles Rs. 8.46 lakh	8.46	1	1
483	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2014-15	1	Minor works done in small parts Rs. 293.63 lakh	293.63	1	1
484	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2014-15	3	Excess payment to agency Rs. 100100/- and non maintainance of record of plants purchasing Rs. 23.35 lakh	23.35	1	0
485	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2014-15	4a	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के कारण भत्तों पर अनियमित व्यय रु 21.48 लाख	21.48	1	0

486	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2016-17	2	कैम्पा के शेष बची राशि को वापिस न करना 1451758/-	14.52	1	1
487	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2016-17	3(क)	प्राप्त बजट /ग्रांट से अधिक खर्च राशि 1022438/-	10.22	1	0
488	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2016-17	3(ख)	प्राप्त बजट/ग्रांट को खर्च न करना राशि 817248 रुपए	8.17	0	0
489	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी (जाटूसाना)	2016-17	4	रोकड़ बही की अनियमितताएं(5,6,7)	-	1	0
490	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2014-15	5	Irregularities of cash book 5	-	1	1
491	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	1	पौधारोपण के लिए अयोग्य पौधों पर निरर्थक व्यय रु 5.73 लाख	5.73	1	1
492	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	2	कार्यों को टुकड़ों में बांट कर करवाने के कारण अनियमित व्यय 67.95 लाख	67.95	1	0
493	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	4	स्टोर का भौतिक सत्यापन न करना	-	1	0

494	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	5	रोकड़ बही की अनियमितताएं	-	1	0
495	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	0	1. रोकड़ बही में मशीने पेज न लगवाना	-	1	0
496	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	0	2. योगों की जांच न करना	-	1	0
497	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	0	3. रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना	-	1	0
498	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2015-16	0	4. ई.पी.एफ. तथा कोषालय से आहरण का रोकड़त्र बही से मिलान न करना	-	1	0
499	Chief wild life warden Panchkula	2009-10	1	Loss of interest of Rs. 18.52 Lakhs due to keeping the money out of Govt. account	18.52	1	1
500	Deputy chief wild life warden Panchkula	2005-06	1	Non recovery from defaulter employees of payment of back wages	0.35	1	1
	Deputy chief wild life warden Panchkula	2019-20	1	समझौता झापन नियमों के विपरीत अनुदान राशि जारी करना रु. 1148.64	1,148.64	1	1
501	Deputy chief wild life warden Panchkula	2019-20	2	कण्डम स्टोर की नीलामी न करना राशि रु. 0.46 लाख ।	0.46	1	0
502	Divisional wild life officer Rohtak	2005-06	4	चिडियाघरों/भवनों के निर्माण में निर्देशानुसार लम्बित अनुपालना ;2 चवपदज चमदकपदहद्ध	-	1	1

503	Divisional wild life officer Rohtak	2010-11	1	Surrendering the amount received from the Govt. of India, due to non-utilization	-	1	1
504	Divisional wild life officer Rohtak	2013-14	1R	Recoverable amount from criminals Rs. 61500/-	0.61	1	1
505	Divisional wild life officer Rohtak	2014-15	1	Delay in deposit of revenue receipt in treasury	2.65	1	1
506	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	1	Detailed Bill of Boundry wall of Rohtak zoo Rs. 23.26 lakh	23.26	1	1
507	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	2	Excess expenditure on establishment Rs. 27.33 lakh	27.33	1	0
508	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	4	Non use of CAMPA funds of Rs. 4.29 lakh	4.29	1	0
509	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	5	Irregular cities of cash book	-	1	0
510	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	1रोकड़ बी के शुरु/प्रथम पृष्ठ पर प्रमाण-पत्र व प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बरिंग माह के अन्त में प्रमाण-पत्र अंकित न करना।	-	1	0
511	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	1	ठेकेदार को समय पर निशानदेही नहीं देने के कारण कार्य का प्रारम्भ न होना।	-	1	1
512	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	2	अधूरे कार्य पर निष्फल व्यय राशि 72.15 लाख रूपये।	72.15	1	0
513	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	3	एजेंसी/ठेकेदारो को अदेय वित्तिय लाभ रू 8.24 लाख।	8.24	1	0



514	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	4	फण्डस का प्रयोग न करना रू 192.75 लाख।	192.75	1	0
515	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	5	रोकड़ बही से संबंधित एवं अन्य अनियमितताये।	-	1	0
516	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	1 भुगतान करने के बाद वाउचरो को रद्द ना करना ।	-	0	0
517	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	2 योगों की जाँच ना करना :	-	0	0
518	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	3 रोकड़ बही मे कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित ना करना ।	-	0	0
519	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	4 राजस्व प्राप्ति बुक (रसीद क्रम न. 5401 से 5500 तक) तथा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 बुक का गुम होना।	-	0	0
520	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	5 राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित रिकार्ड का रखरखाव न करना।	-	0	0
521	Divisional wild life officer Rohtak	2019-20	0	6 EPF/ESI अंशदान का भुगतान सुनिश्चित किये बिना बिलों का भुगतान।	-	0	0
522	Divisional Wild Life Officer Gurgaon	2010-12	3	स्वीकृत अनुमानों से अधिक खर्च 7.20 लाख	7.20	1	1
523	Divisional Wild Life Officer Gurgaon	2012-13	3	जीप खरीद में स्वीकृत अनुमानों से अधिक खर्च राशि 0.54 लाख	0.54	1	1
524	Divisional Wild Life Officer Gurgaon	2017-18	1	जलीय पर्यावरण तंत्र संरक्षण के राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन न करना	-	1	1

525	Divisional Wild Life Officer Gurgaon	2017-18	2(क)	कार्य को टुकड़ों में बांटकर स्वीकृति लेना राशि 59.58 लाख रुपये।	59.58	1	0
526	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	6	निर्माण कार्यो के लिए दिशा निर्देशो का पानल न करना	-	1	1
527	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	7	नकारा/अनुपयोगी वाहनो की निलामी न करवाना राशि 0.88 लाख रुपये	0.88	1	0
528	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	8	अन्य अनियमित्ताये	-	1	0
529	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	1योगों की जाँच न करना	-	0	0
530	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	2 रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
531	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	3 भुगतान करने के बाद वाऊचरों को रद्द न करना	-	0	0
532	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	5 सेवा पुस्तकाओ कासम्बंधितकर्मचारी/अधिकारी को न दिखाया जाना	-	1	0
533	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	6 कैम्पा स्कीम की रोकड़ बही का रिकनसाइल नाकरना	-	0	0
534	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	2016-17	0	7 जनरेटर की लॉग बुक का ठीक से रख रखाव ना करना	-	0	0
535	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	1	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अतिरिक्त व्यय राशि 12.67 लाख रुपये।	12.67	1	1
536	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	2	निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट न बनाना व निरीक्षण में पाई गई कमियों पर कार्यवाही करके उसकी अनुपालना रिपोर्ट न बनाना।	-	1	0

537	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	3	रोकड़ बही की अनियमिततायें:-	-	1	0
538	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	0	1.रोकड़ बी के शुरू/प्रथम पृष्ठ पर प्रमाण-पत्र व प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बरिंग माह के अन्त में प्रमाण-पत्र अंकित न करना।	-	0	0
539	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	0	2.योगों की जाँच न करना	-	0	0
540	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	0	3.रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0
541	वन संरक्षक (अनुसंधान)परिमण्डल पिंजौर	2017-18	0	4.भुगतान करने के बाद वाऊचरों को रद्द न करना	-	0	0
542	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	1	स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अनियमित अतिरिक्त व्यय- रुपये 18.35 लाख।	18.35	1	1
543	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	4	प्रशिक्षण संस्थान का अंडर यूटिलाईजेसन करना।	-	1	0
544	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	5(क)	रोकड़ बही की अनियमिततायें	-	1	0
545	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	0	3 खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	-	0	0
546	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	0	4 योगों की जांच न करना	0.21	0	0
547	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	0	5 रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना	-	0	0

548	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	0	भुगतान करने के बाद वाउचरों को रद्द न करना	-	0	0
549	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	0	1 सी.टी.आर. का न बनाना एवं मिलान करना	-	0	0
550	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना	2018-19	5(ख)	स्टॉक एवं स्टोर का भौतिक सत्यापन न करना।	-	1	0
551	वन मण्डल अधिकारी बीज पिजौर	2005-06	9	4. Shortage of material	-	1	1
552	वन मण्डल अधिकारी बीज पिजौर	2009-10	4	भण्डार में वस्तुओं की कमी के कारण 2,19,178 रु की राशि वसली बारे	2.19	1	1
553	वन मण्डल अधिकारी बीज पिजौर	2017-18	1	रिकार्ड का न बनाया जाना	-	1	1
554	वन मण्डल अधिकारी बीज पिजौर	2017-18	3	निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर कार्यवाही ना करना व उसकी अनुपालना रिपोर्ट न बनाना।	-	1	0
555	वन संरक्षक, प्रचार एवं शिक्षा, परिमण्डल पंचकुला	2005-06	1	कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि रूपये 9.65 लाख	9.65	1	1
556	वन संरक्षक सामाजिक परिमण्डल अम्बाला)	2005-06	2	तदर्थ आधार पर नियुक्त सुरेन्द्र कुमार ट्रेक्टर ड्राइवर का सरकार के आदेशानुसार वेतन का पुनः निर्धारित न करना और अधिक दिये गये वेतन एवं भत्तों की वसूली न करना	4.82	1	0
557	वन संरक्षक सामाजिक परिमण्डल अम्बाला)	2019-20	1	अनियमित रूप से फंड का डायवर्जन करना- रु. 30.00 लाख ।	30.00	1	1
558	वन संरक्षक सामाजिक परिमण्डल अम्बाला)	2019-20	2	नकारा अनुपयोगी वाहनों व सामान की नीलामी न करवाना- रु. 6.30 लाख ।	6.30	1	0

559	वन मण्डल अधिकारी ( ईको-टूरिज्म) पंचकुला	2015-16	1	ईको मैगा प्रोजेक्ट का पूरा न होना राशि रु 400.00 लाख	400.00	1	1
560	वन मण्डल अधिकारी ( ईको-टूरिज्म) पंचकुला	2015-16	2	परियोजना प्रस्ताव राशि को परिवर्तित/डाईवर्जन करके अन्य परियोजना प्रस्ताव पर अनियमित व्यय राशि 124.00 लाख	124.00	1	0
561	वन मण्डल अधिकारी ( ईको-टूरिज्म) पंचकुला	2015-16	3	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापति प्रमाण पत्र न लेना रु 66.88 लाख ।	66.88	1	0
562	वन मण्डल अधिकारी ( ईको-टूरिज्म) पंचकुला	2015-16	6	सरकारी कैमरे के गुम होने से सरकारी संपत्ति की हानि रु 0.25 लाख	0.25	1	0
563	वन मण्डल अधिकारी ( ईको-टूरिज्म) पंचकुला	2015-16	7	Non verification of store	-	1	0
564	वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी परियोजना (जांच एवं मूल्यांकन, पंचकुला	2002-03	1	विभाग द्वारा वसूली करने में विफल रहना	11.54	1	1
565	वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी परियोजना (जांच एवं मूल्यांकन, पंचकुला	2017-18	1	लगाये गए पौधों की पूर्ण रूप से मोनिटरिंग नहीं करना।	-	1	1
566	वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी परियोजना (जांच एवं मूल्यांकन, पंचकुला	2017-18	2	रोकड़ बही की अनियमितताएँ(	-	1	0
567	वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी परियोजना (जांच एवं मूल्यांकन, पंचकुला	2017-18	0	5)FDO स्कीम की रोकड़ बही में अनियमितताये	-	0	0
568	वन मण्डल (जांच एवं मूल्यांकन, सामुदायिक वानिकी परियोजना अम्बाला	2009-10	3	वाहनों का उपयोग न करना	-	1	1
569	वन संरक्षक (वर्क और प्लानिंग) परिमण्डल गुडगांव	2013-14	2	वन विभाग के मण्डलों के नियोजित कार्य उद्देश्यों व योजना को लागू करने में अप्रत्याषित देरी ।	-	1	1

570	वन संरक्षक (वर्क और प्लानिंग) परिमण्डल गुडगांव	2013-14	3	कार्य से संबंधित राशि ठेकेदार के खाते की बजाये कर्मचारी के निजी खाते में जमा करवाना रु 4.44 लाख	4.44	1	0
571	वन मंडल अधिकारी अनुसंधान पिंजौर	2005-06	3	प्रशिनार्थियों से किताबें व लेखन सामग्री की कीमत वापिस न लेना रु 3.71 लाख+ रु 2.74 लाख	6.45	1	1
572	वन मंडल अधिकारी अनुसंधान पिंजौर	2014-15	2	पैनल रेंट की वसूली न करना।	38.48	1	1
573	वन मंडल अधिकारी अनुसंधान पिंजौर	2016-17	1	नए अनुसंधान प्रोजेक्टों का स्वीकृत न किया जाने से वेतन एवं भत्तों पर अनियमित व्यय रु. 3.93 करोड ।	393.00	1	1
574	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़	2016-17	1	धन राशि का संदेहास्पद गबन व दुरुपयोग 5.36 करोड	536.00	1	1
575	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़	2016-17	2	फ़ाइल ट्रेकिंग एव जाँच प्रणाली को पूरण रूप से लागु न करना	-	1	0
576	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़	2016-17	3	फाइलों के निपटन में अत्यधिक देरी	-	1	0
577	PCCF, Haryana, Panchkula	2011-12	2 (b)	Irregular expenditure on entry point activities of National Afforestation Programme	21.25	1	1
578	PCCF, Haryana, Panchkula	2011-12	2 (c)	Failure of plantation pointed out by National Afforestation Programme	3.86	1	0
579	PCCF, Haryana, Panchkula	2013-14	2	Non getting of Central assistance Rs. 209.52 lakh	209.52	1	1
580	PCCF, Haryana, Panchkula	2013-14	3	Decreasing forest area due to illegal felling	-	1	0
581	PCCF, Haryana, Panchkula	2013-14	8	Irregularity of wood based industries	-	1	1
582	PCCF, Haryana, Panchkula	2014-15	8	Misc. irregularities	-	1	0

583	PCCF, Haryana, Panchkula	2015-16	4	Non use of funds Rs. 14.11 crore	1,411.00	1	0
584	PCCF, Haryana, Panchkula	2015-16	6	Non payment of audit fees Rs. 0.80 lakh	0.80	1	0
585	PCCF, Haryana, Panchkula	2016-17	1	बजट खाते में राशि रखने से ब्याज की हानि 109.10 लाख	109.10	1	1
586	PCCF, Haryana, Panchkula	2016-17	2	गाड़ी की खरीद हेतू अनियमित खर्च रूपये 13.50 लाख	13.50	1	0
587	PCCF, Haryana, Panchkula	2016-17	4	कैम्पा स्कीम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यो का कम प्राप्त करना	-	1	0
588	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	2	स्टेट स्कीम की राशि सरेन्डर करना-25.84 करोड़।	2,584.00	1	1
589	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	3	वूड बेस्ड इन्डस्ट्रीज स्कीम के तहत समयावाधि में उचित कार्यावाही न करने के कारण टारगेट पूरा न करना एवं धन का ठहराव राशि-रूपये 584.87 लाख।	584.87	1	0
590	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	4(क)	कैम्पा स्कीम की राशि को बचत खाते में रखने से ब्याज के रूप में राजस्व की हानि-रूपये 114.28 लाख।	114.28	1	0
591	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	5	स्टेट फोरेस्ट डेवैल्पमेंट एजेंसी (एस0एफ0डी0ए0) स्कीम से सम्बन्धित जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना राशि-438.44 लाख रूपये एवं रूपये 618.89 लाख स्कीम से सम्बन्धित कार्य के उपयोग हेतू जारी न करना।	438.40	1	0
592	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	7	नकारा अनुपयोगी वाहनों की निलामी न करवाना-रूपये 11.06 लाख एवं दो वाहनों का कण्डमनेसन से सम्बन्धित रिकार्ड प्रस्तुत न करना।	11.06	1	0
593	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	8(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें:	-	1	0
594	PCCF, Haryana, Panchkula	2018-19	0	नॉन प्रोडक्सन ऑफ रिकार्ड।	-	0	0

595	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	1	कम ब्याज दर पर एफ.डी.आर. के आकार में रसीदें जमा करने के कारण ब्याज की हानि- रु. 93.35 लाख ।	93.35	1	1
596	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	2A	कैम्पा स्कीम के अंतर्गत विश्व हर्बल पार्क पर अनियमित खर्च राशि रु. 10.50 करोड ।	1,050.00	1	0
597	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	2B	कैम्पा स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/वन मण्डल अधिकारियों संस्थाओं को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करना- राशि रु. 3101.79 लाख ।	3,101.79	1	0
598	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	3	अतिरिक्त व्यय राशि रु. 46.94 लाख	46.94	1	0
599	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	4क)	गाड़ियों की खरीद के अनियमितताएँ ।	-	1	0
600	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	4ख)	गाड़ियों एवं पालकी की गलत तैनाती के कारण अनियमित व्यय राशि रु. 77.78 लाख + गाड़ियों पर तेल एवं अन्य व्यय ।	77.78	1	0
601	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	5	शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद लीज समझौते की समाप्त ना करके एजेंसी को अनुचित लाभ ।	-	1	0
602	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	6	रोकड बही की अनियमितताएँ ।	-	1	0
603	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	0	6) वाहनों की लॉग बुकों का सही ढंग से रख-रखाव न करना।	-	0	0
604	PCCF, Haryana, Panchkula	2019-20	7	रिकार्ड प्रस्तुत न करना ।	-	1	0
605	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	1	पौधारोपण पर निष्फल व्यय राशि रु. 144.61 लाख	145.37	1	1
606	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	2	उत्पाद कर के भुगतान हेतू निधियों का रु. 654.00 लाख अनियमित जारी करना	654.00	1	0



607	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	3a	रु. 238.38 लाख को अनियमित रूप से रु. 7.29 लाख बचत बैंक खाते में रखने के कारण ब्याज की हानि	447.71	1	0
608	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	3b	अवरु) धन राशि पर ब्याज की हानि रु. 81.12 लाख	81.12	0	0
609	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	3c	सरकारी धन का अवरोधन रु. 782.90 लाख	782.90	0	0
610	PCCF, Haryana, Panchkula	2020-21	4	कण्डम स्टोर की नीलामी न करना रु. 1.72 लाख	1.72	1	0
611	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	1	राशि 21.28 करोड़ रुपएमुल्य की जब्त लाल चंदन की लकड़ी का निस्तारण नहीं करने के कारण न केवल 91.05 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ अथवा 43.90 लाख रुपये का नुकसान भी हुआ	134.95	1	1
612	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	2	अजीर्ण वृक्षारोपण पर व्यय - 63.28 लाख रु	63.28	1	0
613	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	3	डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती न होने के कारण निष्फल व्यय - रु. 5.31 लाख	5.31	1	0
614	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	4	विश्व हर्बल वन परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी वित्तीय और भौतिक प्रगति।	-	1	0
615	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	5	वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की गैर/अल्प प्राप्ति (रु. 25.29	25.29	1	0
616	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	6	सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता से बचने के लिए आवश्यकताओं को विभाजित करना।	-	1	0

617	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	7	एकल वाउचर पर दोहरा भुगतान (7442 रुपए) I	-	1	0
618	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	8	लेबर सेस का अनुचित भुगतान रु 2856	-	1	0
619	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	9	सरकारी गाड़ियों का बीमा कराते समय मितव्यता सुनिश्चित न करना I	-	1	0
620	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	10	आउटसोर्सिंग सेवाएँ प्रदान करने वाले ठेकेदार को अनुचित लाभ I	-	1	0
621	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	11	वृक्षारोपण के कम अस्तित्व के लिए चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करना।	-	1	0
622	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	12	सैद्धान्तिक अनुमोदन को रद्द न करना।	-	1	0
623	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	13	राष्ट्रीय मिशन के हरित भारत (Green India Mission) के अंतर्गत 262.72 लाख रुपये के निष्पादित कार्यों की मॉनिटरिंग न करना।	262.72	1	0
624	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	14	अनुदान राशि का उपयोग न करना - रु 8.09 करोड़	809.00	1	0
625	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	15	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएसएम) का ठीक से कार्यान्वयन न करना।	-	1	0

626	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	16	वर्ष 2020-21 (6/2021 तक) प्राप्त पेंशन केसेस के सामयिक निष्पादन बारे	-	1	0
627	प्रधान मुख्य वन संरक्षण (HoFF),	2021-22	17	रिकार्ड प्रस्तुत न करना।	-	1	0
628	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	1	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पहले सेस्वीकृतसी.ए. साइटों के स्थान पर अन्य साइटों पर पौधारोपण करना।	-	1	1
629	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	2 a	2020-21 में प्राप्त धनराशि का कम उपयोग (79.61 करोड़ रुपये)	7,961.00	1	0
630	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	2 b	धन की उपलब्धता के बावजूद प्रतिपूरक वन रोपण न करना।	-	1	0
631	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	2 c	कैम्पा के तहत संरक्षित क्षेत्रों में आवास सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आंबटित राशि का उपयोग न करना।	-	1	0
632	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	3 a	प्रतिपूरकवनरोपण (Compensatory Afforestation) के निष्पादन में विलम्ब के परिणाम स्वरूप परिहार्य व्यय 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान	133.00	1	0
633	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	3 b	राज्यप्रतिपूरकवनरोपणकोष (State Compensatory Afforestation Fund) खाते का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन न होना।	-	0	0
634	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	3c	400.12 हेक्टेयर में अनधिकृत प्रतिपूरक वन रोपण (Compensatory Afforestation)।	-	0	0
635	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	4	अनाधिकृत व्यय- 5.30 लाख रुपये।	5.30	1	0

636	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	5	लेबरसेस का अनुचित भुगतान तथा आउटसोर्सिंगसेवाओं के लिए टेंडर आमंत्रित न करना।	-	1	0
637	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA	2021-22	6	अनआहरित (uncashed) चेकों का बैंक के साथ मिलान न करना रुपए 133.19 लाख	133.19	1	0
638	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	1 a	Integrated Development of wildlife scheme के अंतर्गत राशि का पूर्ण उपयोग ना करना	-	1	1
639	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	1 b	केंद्र प्रायोजित योजना Integrated Development of wildlife habitat के घटक recovery for saving critically endangered species and habitats, के अंतर्गत निधि आवंटन के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सहायता का उपयोग ना करना	-	1	0
640	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	2	लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय करने में देरी	-	1	0
641	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	3	केन्द्रीय अनुदान के उपयोग में विलम्ब एवं एकीकरण प्रबंधन योजना तयार ना करना	-	1	0
642	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	4	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएसएम) का ठीक से कार्यान्वयन न करना।	-	1	0
643	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हरियाणा	2021-22	5	श्री रोशन लाल सहायक का पेंशन मामला निष्पादन ना करने बारे	-	1	0
					47996.53	471	169

© PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) HARYANA

2022

[www.aghry.gov.in](http://www.aghry.gov.in)